

अनुक्रमणिका

भाग-अ

खंड -I

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I को छोड़कर भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

1. वायदा संविदाएं
 2. वायदा संविदा को छोड़कर अन्य संविदाएं
 3. ओवर दि काउंटर विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाओं के लिए सामान्य दिशा-निर्देश
 4. करेंस फ्यूचर्स
 5. ँप्य हेजिंग
 - अ. अंतर्राष्ट्रीय ँप्य मंडियों/बाजारों में ँप्य कीमत की हेजिंग
 - आ. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत-जोखिम की हेजिंग
 - इ. विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ँप्य हेजिंग
6. भाड़ा हेजिंग

खंड-II

भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

1. विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए सुविधाएं
2. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए सुविधाएं
3. भारत में प्रत्यक्ष निवेश की हेजिंग के लिए सुविधाएं

खंड-III

1. बैंक की ँरिसंति-देयताओं का प्रबंध
2. स्वर्ण कीमतों की हेजिंग
3. ँजी की हेजिंग
4. भारत में करेंसी फ्यूचर्स बाजार में सहभागिता

भाग-आ

अनिवासी बैंकों के खाते

1. सामान्य
2. अनिवासी बैंकों के रुये खाते
3. अनिवासी बैंकों के खातों का निधीयन
4. अन्य खातों से अंतरण

5. रुपये का विदेशी मुद्राओं में परिवर्तन
6. भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता बैंकों की जिम्मेदारियां
7. रुपया प्रेषणों की वापसी
8. विदेश में स्थित शाखाओं/ संपर्क कार्यालयों (करेसपॉण्डेंट) का ओवरड्राफ्ट / ऋण
9. विनिमय प्रतिष्ठानों के रुपये खाते

भाग – इ

अंतर बैंक विदेशी मुद्रा काराखार

1. सामान्य
2. स्थिति और अंतराल
3. अंतर - बैंक लेनदेन
4. विदेशी मुद्रा खाते/ विदेशी बाजारों में निवेश
5. ऋण/ ओवरड्राफ्ट

भाग ई

रिज़र्व बैंक का रिपोर्ट

संलग्नक I

संलग्नक II

संलग्नक III

संलग्नक IV

संलग्नक V

संलग्नक VI

संलग्नक VII

संलग्नक VIII

संलग्नक IX

संलग्नक X

संलग्नक XI

संलग्नक XII

संलग्नक XIII

संलग्नक IV

संलग्नक XV

संलग्नक XVI

परिशिष्ट

भाग अ

जोखिम प्रबंध

खंड I

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I को छोड़कर भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

1. वायदा संविदा

- (i) भारत में निवासी कोई व्यक्ति श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी के साथ अपने उन लेनदेनों जिनके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 अथवा उसके अधीन बने किसी नियम अथवा विनियम अथवा निर्देश अथवा उसके अधीन बने अथवा जारी किसी आदेश के तहत व्यापार से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग की अनुमति है वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन वायदा संविदा कर सकता है:-
 - (क) श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक , लेनदेन के चालू खाते अथवा पूंजी खाते पर ध्यान दिये बिना दस्तावेजी साक्ष्यों सत्यापन से निहित जोखिम की वास्तविकता से संतुष्ट हों । संविदा से संबंधित सभी ब्योरों का ऐसे दस्तावेजों पर समुचित प्रमाणन के साथ रिकॉर्ड रखा जाये और सत्यापन के प्रयोजन से उसकी प्रतियां रखी जायें । फिर भी , श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक, आयातकों /निर्यातकों और विशेष विनियामक छूट प्राप्त संस्थाओं को इस परिपत्र के पैरा 1(ii)पैरा 1(iii) और पैरा 1(iv) में वर्णित शर्तों के अधीन घोषणा के आधार पर वायदा संविदा बुक करने की अनुमति दे सकता है ।
 - (ख) व्यापार से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग की परिपक्वता निहित लेनदेन की परिपक्वता से अधिक न हो ।
 - (ग) हेजिंग की करेंसी और मीयाद चुनने का विकल्प ग्राहक पर छोड़ दिया गया है ।
 - (घ) जहाँ पर निहित लेनदेन की सही सही राशि का आकलन न हो सके,तर्क संगत अनुमान के आधार पर वायदा संविदा बुक की जाती है ।
 - (ङ) हेजिंग के लिए विदेशी मुद्रा उधार लेने/बाँड्स की रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया गया हो अथवा ऋण ऋचान संख्या जारी किया गया हो।
 - (च) वैश्विक निक्षेपागार प्राप्ति (जीडीआरएस) हेजिंग की मात्र तभी होंगी जब कि कीमत का मुद्दा हल हो जाये ।
 - (छ) खाता धारकों द्वारा आगे बेचे गये विनिमय अर्जकों के विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) सुपुर्दगी के लिए निर्दिष्ट कर दिये जायेंगे और ऐसी संविदायें निरस्त नहीं की जायेंगी । तथापि, उन्हें आगे ले जाया जा सकता है ।
 - (ज) एक वर्ष के भीतर देय होने वाली सभी वायदा संविदाएं जिनमें रुपया करेंसियों में से एक हो ,

विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए , मुक्त रूप से निरस्त की जा सकती हैं और फिर बुक की जा सकती हैं। भारतीय निवासी व्यक्तियों द्वारा चालू खाता लेनदेनों की , उनकी मीयाद को नजरअंदाज करते हुए , विदेशी मुद्रा जोखिम के बचाव के लिए रुपया मुद्राओ की सभी वायदा सधिदाओ मुक्त रूप से निरस्त की जा सकती हैं/फिर बुक की जा सकती हैं। बिना दस्तावेजों के पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर बुक की गयी सधिदाओ पर लागू होने के साथ ही विदेशी मुद्रा में बुक की गयी किन्तु भारतीय रुपया मूल्यवर्ग में निपटाए गए लेनदेनों को जोखिम से बचाव के लिए बुक की गयी वायदा सधिदाओ पर , जहाँ प्रचलित प्रतिबन्ध जारी हैं , यह छूट लागू नहीं होगी । सशोधित फॉर्मेट जिसमें कि कम्पनी के निवेश रिपोर्ट किये जाने अपेक्षित हैं , सलग्नक -V में दिया गया है। सभी कारपोरेट क्लायट्स के निवेशों के ब्योरे रिपोर्ट में शामिल किये जाने हैं । इसके अतिरिक्त, निस्तीकरण और फिर से बुकिंग की सुविधा तब तक न दी जाये , जब तक कि कारपोरेट ऊपर बताये गये के अनुसार अपेक्षित निवेश जानकारी न प्रस्तुत कर दे । सभी गण -भारतीय रुपया वायदा सधिदाओ मुक्त रूप से फिर से बुकिंग की जा सकती हैं।

- (झ) प्राधिकृत व्यापारी व्यापारिक लेनदेन की हेजिङ की सधिदाओ के प्रतिस्थापन के लिए अनुमति दे सकते हैं बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिस्थापन ज़रूरी हो गया है।
- (ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, **आयातकों और निर्यातकों** को जोखिम की घोषणा के आधार पर और पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के वास्तविक आयात/ निर्यात टर्नओवर या पिछले वर्ष के वास्तविक आयात/ निर्यात टर्नओवर, जो भी अधिक हो, के औसत तक पिछले निष्पादन पर आधारित वायदा सधिदा करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं
- (क) वर्ष के दौरान की गई कुल वायदा सधिदा और किसी भी समय बकाया पात्र सीमा अर्थात् पिछले तीन वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के वास्तविक आयात/ निर्यात पण्यावर्त अथवा पिछले वर्ष के वास्तविक आयात/ निर्यात पण्यावर्त जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र सीमा से 75 प्रतिशत अधिक बुक की गई सधिदा सपुर्दगी योग्य आधार पर होगी और रद्द नहीं की जा सकेगी। आयात/ निर्यात लेनदेनों के लिए इन सीमाओं की अलग-अलग गणना की जाएगी।
- (ख) बगल किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य के की गई कोई भी वायदा सधिदा को इस सीमा के आधार पर निपटाया जाएगा।
- (ग) आयातक और निर्यातक इस सुविधा के अंतर्गत अन्य श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के पास इस सुविधा के तहत बुक की गई राशि से संबंधित घोषणा श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को प्रस्तुत करें।

- (घ) ग्राहक से वायदा संविदा की परिपक्वता से पहले समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का वचनपत्र लिया जाए।

अपने ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं से आश्वस्त होने के बाद श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक पात्र सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक बकाया वायदा संविदा की अनुमति निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच के बाद दें।

- (ङ) • ग्राहक के सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाण पत्र कि इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया था।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राहक के आयात/ निर्यात टर्नओवर का प्रमाणपत्र, जो संलग्नक- VI के फॉर्म में उनके सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित है।
- (च) किसी निर्यातक के मामले में उपर्युक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिदेय बिल की राशि टर्नओवर के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
- (छ) श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी से अपेक्षित है कि वह संलग्नक- IX में दिए गए फॉर्म में इस सुविधा के तहत उनके ग्राहकों द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई सीमाओं के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को) प्रस्तुत करें। रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, अमर बिल्डिंग पांचवी मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को भेजी जाए।

टिप्पणी: पणोग्राफ (ii) में विनिर्दिष्ट सीमाएं जखिम की घोषणा के आधार पर की गई वायदा संविदा से संबंधित हैं। जब दस्तावेजी साक्ष्यों के सत्यापन के बाद श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा वायदा संविदा किए जाते हैं, ये सीमाएं लागू नहीं होती हैं तथा ऐसी संविदाएं निहित सीमा तक किए जाएं।

- (iii) श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक, लघु और मध्यम उद्यमियों (एसएमईएस) को निहित प्रलेख प्रस्तुत किये बिना, विदेशी मुद्रा में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निवेशों से उत्पन्न होनेवाली विनिमय जखिम से बचाव के लिए निम्नलिखित शर्तों पर वायदा संविदा की जा सकती है।
- क) संस्था ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र आरपीसीडी पीएलएनएस.बीसी. सं. 63/06.02.031/2006-07 में लघु उद्यम की दी गयी परिभाषा के अनुरूप यह सुनिश्चित करने के बाद ही ऐसी संविदाएं बुक करने की अनुमति दी जाये।
- ख) ऐसी संविदाएं, श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों जिनसे लघु उद्यमियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं, के जरिये बुक की जायें और बुक की गयी वायदा संवादाओं की कुल राशि अपनी विदेशी मुद्रा अपेक्षाओं अथवा कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं अथवा पूंजीगत व्यय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा ली गयी ऋण सुविधाओं के भीतर हो।
- ग) इन वायदा संविदाओं को मुक्त रूप से निरस्त करने और फिर से बुक करने की अनुमति दी

जाए।

- घ) श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक , 20 अप्रैल 2007 के डीबीओडी सॉ बीपी .बीसी. 86/21.04.157/2006-07 द्वारा व्युत्पन्नों पर जारी व्यापक दिशा-निर्देशों के पृष्ठ 8.3 के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्यम ग्राहकों की वायदा सविदाओकी " प्रयत्ना औचित्य "और "अनुकूलता " सबंधी जांच करने में विशेष सावधानी बरतें ।
- ड) यह सुविधा लेने वाले लघु उद्यमियों को चाहिये कि वे अन्य प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से इस सुविधा के अर्थात् पहले ही बुक की गयी , यदि कोई हू वायदा सविदा की राशि के सबंध में श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक को घबराणात्र प्रस्तुत करें।

टिप्पणी: लघु उद्यमियों को जखिम से बचाव के लिए, विचाराधीन दस्तावेज [पृष्ठ 1(i) अथवा विगत निष्पादन मार्ग से (पृष्ठ 1(ii))] जमा करने पर विदेशी मुद्रा रुपया विकल्प के प्रयोग की भी अनुमति हू।

- (iv) श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक आवक और जावक दलों ही वास्तविक अथवा प्रत्याशित विप्रेषणों के कारण हानेवाली विदेशी मुद्रा विनिमय जखिम से बचाव के लिए निवासी व्यक्तियों को, विचाराधीन दस्तावेज जमा किये बिना, स्व-घबराणा पर आधारित 100,000 अमरीकी डॉलर की सीमा तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन वायदा सविदाएबुक करने की अनुमति दे सकते हैं।
- (क) इस सुविधा के अर्थात् बुक की गयी वायदा सविदा सामान्यतः सुदुर्घा आधारित होंगी। तथापि, नकदी प्रवाहों में असमूलन अथवा अन्य किन्ही अनिवार्यताओकी स्थिति में इस सुविधा के अर्थात् बुक की गयी वायदा सविदाओको रद्द करने और पुनः बुक करने की अनुमति दी जाए।
- (ख) बकाया वायदा सविदाओका अनुमानिक मूल्य किसी एक समय पर 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहींहूना चाहिये ।
- (ग) केवल एक वर्ष की अवधि वाली सविदाएबुक करने की अनुमति दी जाए।
- (घ) श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक के जरिये जिससे निवासी व्यक्तियों के बैंकिंग सबंध हों, संलग्नक- XV में दिये गये फार्मेट में आवेदन एवघबराणा के आधार पर ऐसी सविदाये बुक की जायें । श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से समुष्ट हों कि निवासी व्यक्ति वायदा सविदा में अतर्निहित जखिम के स्वरूप से अवगत हैं और ऐसे ग्राहक की वायदा सविदाओकी " प्रयत्ना औचित्य "और "अनुकूलता " सबंधी जांच करने में विशेष सावधानी बरतें ।
- (v) एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के पास की गई सविदा के रद्द हूने पर दूसरे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के पास निम्नलिखित शर्तों पर पुनः सविदा की जा सकती हू।
- क) यह बदलाव (स्विच), प्रस्तावित दरों में स्पर्धा और जिस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के साथ मूल रूप में सविदा की गई हूउससे बैंकिंग सबंध समाप्त करने आदि के कारण न्यायसंगत

है।

- ख) रद्द करना और दुबारा संविदा करना दोनों साथ-साथ में संविदा की परिपक्वता तारीख पर किया जाता है।
- ग) मूल संविदा को रद्द किया जाना को सुनिश्चित करना की जिम्मेदारी उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I की है जो पुनः संविदा करता है।
- (vi) (क) विदग्धी प्रत्यक्ष निवशा (ईक्विटी और ऋण में) करनद्यालनिवासियों को ऐसनिवशों स उत्पन्न होनद्याली विनिमय जोखिम कालिए रक्षा की अनुमति है । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I ऐसनिवशा कसुरक्षा कालिए जोखिम कसत्यापन कअधीन निवासियों कसाथ वायदा संविदा करार कर सकतएहैं। विदग्धी प्रत्यक्ष निवशों को कवर करनद्यालसंविदाओं को नियत तारीख को रद्द अथवा आगएलिया जा सकगा। फिर भी प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को रद्द की गई संविदाओं कमात्र 50% की पुनः बुकिंग की अनुमति दी जाए।
- ख) अगर विदग्धी प्रत्यक्ष निवशा का मूल्य कसंकुचन ककारण हजिंग आंशिक या पूर्ण रूप सअसुरक्षित हो जाती है तो, हजिंग मूल परिपक्वता अवधि तक जारी रखी जाए । नियत तारीख को रोल ओवरों की अनुमति कद्यल उस तारीख कबाजार मूल्य की सीमा तक दी जाएगी।
- (vii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I विदग्धी मुद्रा में नामित लक्षदक्ष परंतु भारतीय रुपयमें भुगतान स संबंधित वायदा संविदा निवासियों कसाथ कर सकतएहैं इसमें आयातों पर दक्ष सीमा शुल्क कसंबंध में आयातकों कआर्थिक (करेंसी सूचकांकित)जोखिम की रक्षा भी शामिल है। ऐसी संविदाएं परिपक्वता तक धारित रहेंगएऔर उनका भुगतान उनकी परिपक्वता की तारीख को संविदा रद्द करककी जाएगी। ऐसलक्षदक्ष को कवर करनद्याली वायदा संविदाएं एक बार रद्द होनएपर पुनः संविदा कालिए पात्र नहीं होंगी। फिर भी सरकारी अधिसूचनाओं ककारण सीमा शुल्क की दरों में परिवर्तन की स्थिति में, आयातकों को परिपक्वता अवधि कपूर्व ही वायदा संविदाओं को रद्द / अथवा पुनः बुक करनएकी अनुमति दी जाए।

2. वायदा संविदा साइतर अन्य संविदाएं

- (i) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसनएविदग्धी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (विदग्धी मुद्रा में उधार लक्षा और दक्षा) विनियमावली, 2000 कए्रावधानों कअनुसार विदग्धी मुद्रा में उधार लिया है वह ब्याज दर क स्वैप अथवा मुद्रा स्वैप अथवा कूपन स्वैप अथवा विदग्धी मुद्रा विकल्प अथवा ब्याज दर कैप अथवा कॉलर (खरीद) अथवा वायदा दर करार (एफआरए) संविदा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I अथवा भारत में विदग्धी मुद्रा का कारोबार करनए कालिए प्राधिकृत बैंक की भारत सएाहर किसी शाखा कसाथ या भारत में विशाष आर्थिक क्षत्र में ऑफ शोर बैंकिंग ईकाई कसाथ अपनएऋण जोखिम की हजिंग कर सकता है और ऐसी किसी हज सएमुक्त हो सकता है, बशर्ते :

- क) संविदा रुपये से संबंधित न हो।
- ख) विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया गया हो अथवा ऋण पहचान संख्या 01 की गई हो।
- ग) हे0 की आनुमानिक मूल राशि विदेशी मुद्रा ऋण की बकाया राशि से अधिक न हो।
- घ) हे0 की परिपक्वता निहित ऋण की शेष परिपक्वता अवधि से अधिक न हो। ये संविदाएं मुक्त रूप से रद्द और पुनः बुक की 0एंग।
- (ii) भारत में कोई भी व्यक्ति िसकी विदेशी मुद्रा अथवा रुपये की देयता हो, दीर्घावधि 0ेखिमों की हे0िण के लिए भारत में किसी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी के साथ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा - रुपया स्वप की सविदा कर सकता हः
- क) 0 हः रुपये अथवा किसी भी रूप में इसके समतुल्य का प्रारंभिक भुगतान किया 0ाना हो वहाः कोई स्वप लेनदेन नहीं किया 0एगा।
- ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I द्वारा मध्यस्थ के रूप में प्रतिपक्ष कपनी की आवश्यकता के समरूप स्वप लेनदेन किया 0ा सकता हः
- ग) ग्राहकों के विदेशी मुद्रा 0ेखिमों की हे0िण को सुविधाः नक बनाने के लिए यद्यपि स्वप लेनदेन के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I पर कोई भी सीमा नहीं लगाई 0ती हः तथापि, ग्राहकों की विदेशी मुद्रा 0ेखिम की रक्षा के लिए ग्राहकों को अपनी विदेशी मुद्रा देयता का अनुमान लगाने की सुविधा के लिए स्वप लेनदेन पर सीमा लगाई गई हः िससे बाःजार में आपूर्ति प्रभावित हो। 0ब समानुरूपित लेनदेन किया 0ए तो इन स्वप के कारण बाःजार में निवल आपूर्ति के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा लगाई 0ती हः ग्राहकों द्वारा विदेशी मुद्रा के रुपए स्वप के रद्द करने के परिणामस्वरूप बनी स्थिति को सीमा में न गिना 0ए।
- (घ) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा देयता का अनुमान लगाने के लिए स्वप लेनदेन की विनिर्दिष्ट सीमा के संदर्भ में स्वप को रद्द करने/ स्वप की परिपक्वता और 0रिशोधन 0र 0रिशोधित राशि तक सीमा को पुनःबहाल किया 0ा सकता हः
- (ङ) उक्त लेनदेन यदि रद्द किया 0ाता हः तो किसी भी नाम से इसकी पुनः संविदा अथवा पुनः प्रविष्टि नहीं की 0ा सकेगी।
- (iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I अपने ग्राहकों के साथ बक-टु-बक आधार पर विदेशी मुद्रा-रुपया विकल्प संविदा कर सकते हैं। वे रिज़र्व बैंक के पुर्वानुमति के अधीन विकल्प पुस्तक की शुरुआत कर सकते हः। वायदा संविदा पर लागू सभी दिशा-निर्देश रुपया विकल्प संविदा पर भी लागू हैं। विस्तृत दिशानिर्देश और रिःपोर्टिंग आःक्षाएं संलग्नक - VII में दी गई हैं।
- (iv) भारत में निवासी कोई व्यक्ति आःने व्याःार से उत्पन्न विदेशी मुद्रा 0ेखिम की हेःजिंग के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के साथ विदेशी मुद्रा विकल्प (ऑप्शन) (रुपए को

शामिल न करते हुए) संविदा कर सकता है;

- क) बशर्ते लागत आधारित जोखिम कम करने की कार्य-नीतियों जैसे रेंज फार्वर्ड, रेशियो रेंज फार्वर्ड अथवा अन्य किसी किस्म का वायदा चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, से **प्रीमियम की कोई निवल आवक न हो**। ये लेनदेन मुक्त रूप से बुक किए और/ अथवा रद्द किए जा सकते हैं।
- (ख) एरस्एर लेनदेन की मुद्रा का विकल्प दुतरफा आधार एर (बैंक-टू-बैंक) लिखा जाए। रक्षा संबंधी लेनदेन भारत के बाहर किसी बैंक, विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित किसी ऑफ-शोर बैंकिंग इकाई अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त ऑप्शन एक्सचेंज अथवा भारत में अन्य श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी के साथ किया जाए।
- (ग) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा एर लागू सभी मार्गदर्शी सिद्धांत विदेशी मुद्रा विकल्प संविदा एर भी लागू हैं।
- (घ) विकल्प लिखने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I कारोबार प्रारंभ करने से पहले मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई -400 001 से एक ही बार अनुमोदन प्राप्त करें।

संघीकरण :विदेशी मुद्रा में टेंडर बिड प्रस्तुत करने के कारण उत्पन्न आकस्मिक विदेशी मुद्रा जोखिम भी इस उ-पैराग्राफ के अंतर्गत हेजिंग के लिए एत्र है।

टिप्पणी : रूप ए को शामिल करनेवाले और शामिल न करनेवाले दोनों प्रकार के विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा के संबंध में,

- अ. स्वै लेनदेनों के मामलों में जहां लागत में प्रीमियम शामिल है और वैकल्पिक संविदा जिसमें लागत कमी संरचना शामिल है, श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि-
- ऐसी संरचना का एरिणाम किसी भी प्रकार से जोखिम बढ़ाना न हो
 - इसका एरिणाम ग्राहक द्वारा प्रीमियम की निवल प्राप्ति न हो।
- आ. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I ग्राहकों की विशेष सुविधा (लिवरेज्ड) स्वै संरचना का प्रस्ताव न दें।
- इ. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I वायदा संविदा के सरोगेट बनने के लिए स्वै मार्ग की अनुमति उन वायदा संविदाओं को न दें जो वायदा बचाव के लिए एत्र नहीं हैं।

3. ओवर दि काउंटर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

- 20 अप्रैल 2007 के एरिण डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.86/21.040.157/2006-07 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश भी फॉरेक्स डेरिवेटिव्स एर लागू हैं।
- जैसा कि 8 दिसंबर 2008 के एरिण डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.94/08.12.001/2008-09 में विस्तृत रूप में दिया गया है, सभी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि एरस्एर जानकारी/

सूचनाओं का आदान-प्रदान करें।

- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक सुनिश्चित करें कि कंपनी का निदेशक मंडल द्वारा जोखिम प्रबंध नीति निर्धारित की गई है जिसमें लक्षद्वारों को पूरा करना और स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किया गया है और कारोबार की आवधिक समीक्षा की व्यवस्था हो और विनियमों का अनुपालन वास्तविकताओं के लिए लक्षद्वारों की वार्षिक लेखापरीक्षा की जाती हो।
- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक आवधिक समीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट संबंधित कंपनी से प्राप्त करें।

4. करेंसी फ्यूचर्स

भारत में डेरिवेटिव मार्केट को विकसित करने की दिशा में और निवासियों को उल्लेख्य विदेशी मुद्रा बचाव के मौजूदा साधनों की सूची में और कुछ जोड़ने एक और कदम के रूप में देश के मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नये विनियम गृहों में करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं का व्यवसाय करने की अनुमति दी गयी है। भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सब्सि) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / अनुदेशों का तहत करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में अपना कारोबार करेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू का तहत जारी करेंसी फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निर्देश 2008 [06 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं. एफईडी1/डीजी(एसजी)-2008] में निहित निर्देशों का अधीन भारत का निवासी व्यक्तियों को करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में भाग लेना की अनुमति है।
करेंसी फ्यूचर्स निम्नलिखित शर्तों का अधीन हैं:-

अनुमति

- (i) करेंसी फ्यूचर्स की अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपया, युरो- भारतीय रुपया, जापानी यक़- भारतीय रुपया और पाउंड स्टर्लिंग- भारतीय रुपया में अनुमति है।
- (ii) क़ल भारत का निवासी व्यक्ति ही विदेशी मुद्रा दर जोखिम साख़चाव अथवा अन्यथा का लिए करेंसी फ्यूचर्स की खरीद अथवा बिक्री कर सकते हैं।

करेंसी फ्यूचर्स की विशिष्टताएं

मानकीकृत करेंसी फ्यूचर्स में निम्नलिखित विशिष्टताएं होंगी :-

- (क) अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपया, युरो- भारतीय रुपया, पाउंड स्टर्लिंग- भारतीय रुपया और जापानी यक़- भारतीय रुपया में ही करेंसी फ्यूचर्स का व्यवसाय की अनुमति है।
- (ख) अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपया संविदाओं का लिए प्रत्यक संविदा 1000 अमरीकी डॉलर, युरो- भारतीय रुपया संविदाओं का लिए प्रत्यक संविदा 1000 युरो, पाउंड स्टर्लिंग- भारतीय रुपया संविदाओं का लिए प्रत्यक संविदा 1000 पाउंड स्टर्लिंग तथा जापानी यक़-भारतीय रुपया संविदाओं का लिए प्रत्यक संविदा 100,000 यक़ की होगी।

- (ग) संविदाओं की बोली और निपटान भारतीय रूपयों में किया जाएगा।
- (घ) संविदाओं की परिपक्वता अवधि 12 महीनो सा अधिक नहीं होगी ।
- (ङ) अमरीकी डॉलर-भारतीय रूपय तथा युरो- भारतीय रूपय संविदाओं का लिए निपटान मूल्य क्रय-विक्रय का अंतिम दिन की भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर होगी और पाउंड स्टर्लिंग- भारतीय रूपय तथा जापानी यच्च-भारतीय रूपय संविदाओं का लिए निपटान मूल्य क्रय-विक्रय का अंतिम दिन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी प्रकाशनी में प्रकाशित विनिमय दर होगी।

सदस्यता

- (i) एक मान्यता प्राप्त शखर बाजार में मुद्रा वायदा बाजार की सदस्यता, ईक्विटी व्युत्पन्न खंड अथवा नकदी खण्ड की सदस्यता साभिन्न होगी। मुद्रा वायदा बाजार में क्रय-विक्रय और समाशोधन दोनों की सदस्यता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सच्ची) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अधीन होगी।
- (ii) विदक्षी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 का अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रणी-I बैंक का रूप में प्राधिकृत बैंक, मान्यता प्राप्त शखर बाजारों में स्वयं अथवा ग्राहकों की ओर सनिम्नलिखित विवकपूर्ण मानदंडों को पूरा करनपर क्रय-विक्रय और समाशोधन हस्तु सदस्य बन सकतहैं।
- (iii) उपर्युक्त न्यूनतम विवकपूर्ण मानदण्ड पूरा न करनखाल प्राधिकृत व्यापारी श्रणी-I बैंक जो कि शहरी सहकारी बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हैं , भारतीय रिज़र्व बैंक का संबंधित नियंत्रक विभागों का अनुमोदन सा मुद्रा वायदा बाजार में कखल ग्राहक (क्लायंट) का रूप में भाग लासकतहैं।

विदक्षी मुद्रा क्रय-विक्रय स्थिति-सीमाएं

- (i) मुद्रा वायदा बाजार में विभिन्न वर्गों का सहभागियों हस्तु मुद्रा विदक्षी मुद्रा क्रय-विक्रय स्थिति-सीमाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सच्ची) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अधीन होंगी।
- (ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रणी-I बैंक , निवल जोखिम की आरंभिक सीमा और सकल अंतर सीमा जखल विवकेपूर्ण सीमाओं के भीतर कार्य करेंगे। स्वयं अपनी ओर से करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में बैंकों के निवेश, उनके निवल जोखिम की आरंभिक स्थिति और सकल अंतर सीमाओं का हिस्सा बनेंगे।

करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज/ समाशोधन निगमों का प्राधिकार

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और उनका अपने-अपने समाशोधन निगम/ समाशोधन गृह , मुद्रा वायदा सौदों सा संबंधित अथवा अन्यथा कोई कारोबार नहीं करेंगे जब तक कि उनका पास विदक्षी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 10(1) का अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार पत्र न हो।

5. पण्यों की जखिम की रक्षा (हेजिंग)

निर्यात और आयात के काराखार में लगे जखिम कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमदित किये गये हख भारत में निवासी व्यक्तियों कख अतर्राष्ट्रीय पण्य मडियों /बाजारों में निम्नलिखित क, ख, और ग उप-बिंदुओं में दी गई शर्तों पर अनुमत वस्तुओं के मूल्य जखिम का बचाव करने की अनुमति हख। इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य उत्पाद के साथ नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान रहे कि, यहाँ प्राथमिक रूप से प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भूमिका समय-समय पर मार्जिन अपेक्षाओं के लिए विदेशी मुद्रा राशियों के विप्रेषण की सुविधा प्रदान करना हख। ग्राहक द्वारा समुद्रपारीय काउंटर पार्टियों के साथ किए गये पण्य व्युत्पन्न लेनदेन से उपजे भुगतान दायित्वों के लिए किए गये प्रषणों के बदले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, संलग्नक XVI में दी गई शर्तों/ दिशा-निर्देशों के तहत पण्य व्युत्पन्नों से संबंधित इन विशिष्ट भुगतान दायित्वों कखकवर देने के लिए समर्थनकारी साख-पत्र /की बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं।

अ. अंतर्राष्ट्रीय पण्य मडियों/ बाजारों में पण्यों की कीमत की जखिम की रक्षा (हेजिंग)

- (i) आयात और निर्यात या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अन्यथा अनुमदित अन्य व्यापार में लगे हुए भारत में निवासी अंतर्राष्ट्रीय पण्य मडियों/ बाजारों में सभी पण्य कीमत जखिम की हेजिंग कर सकते हैं। कतिपय न्यूनतम मानदण्ड कख पूरा करनेवाले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक प्राधिकृत व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय पण्य मडियों/ बाजारों में किसी पण्य (साम्रा, चांदी, प्लटिनम कखछाडकर) के संबंधमें कीमत जखिम की हेजिंग की अनुमति मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों कखदे सकते हैं।

विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत और रिपोर्टिंग अपेक्षाएं संलग्नक X में दी गई हख। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक कखप्रत्यायजित प्राधिकार के दायरे में न आनेवाली कंपनियों/ फर्मों की पण्य हेजिंग के लिए आवेदन किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ निम्नलिखित विवरण देते हुए रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत करें:

1. प्रस्तावित हेजिंग कार्यनीति का सक्षिप्त विवरण, अर्थात् :
 - क) व्यवसाय कार्यकलाप का विवरण और जखिम का स्वरूप,
 - ख) हेजिंग के उपयोग में लाए जानेवाले प्रस्तावित लिखत,
 - ग) पण्य मडियों और ब्राकर का नाम जिसके माध्यम से जखिम की हेजिंग के लिए प्रस्ताव किया जाता हखऔर लिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण। संबंधित देश में विनियामक प्राधिकरण का नाम और पता भी दिया जाए,
 - घ) जखिम की मात्रा/ औसत अवधि और/ अथवा वर्ष में कुल पण्यावर्त और साथ में उसकी

अनुमानित चरम स्थितियां और गणना का आधार।

2. प्रबंध-तंत्र द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंध नीति की प्रति जिसमें निम्नलिखित शामिल हो;

क) जोखिम की पहचान

ख) जोखिम का माप

ग) स्थिति का पुनर्मूल्यांकन और/ अथवा निगरानी का संबंध में पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश और प्रक्रिया

घ) लक्ष्य करण वाले अधिकारियों का नाम और पदनाम तथा सीमाएं

3. कोई अन्य संगत जानकारी

इस कार्यकलाप का लिए दिशा-निर्देश का साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एकमुश्त अनुमोदन दिया जाएगा।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मान्यता प्राप्त शह्य बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों को एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, निकिल और जिंक की घरलू खरीद और बिक्री से संबंधित मूल्य जोखिम की अंतर्निहित आर्थिक जोखिम से प्रतिरक्षा (हजिंग) की अनुमति दे सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक, विमानन टरबाइन इंधन का वास्तव में प्रयोग करने वाली कंपनियों को भी अंतर्राष्ट्रीय ँण्य मंडियों में इनकी घरलू खरीद से संबंधित मूल्य जोखिम से प्रतिरक्षा (हजिंग) की अनुमति दे सकता है। इन आर्थिक जोखिमों से प्रतिरक्षा (हजिंग) पर व्यापक दिशा-निर्देश और रिपोर्टिंग अक्षाएं संलग्नक -XI में दिए गए हैं।

आ ँण्य और ँण्योलियम उत्पादों का मूल्य जोखिम साबचाव

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, घरलू कर्यूड ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियों को ँण्यली तिमाही की अनुवर्ती तिमाही का कारोबार की मात्रा का आधार पर उनकी इन्वटरी का 50 प्रतिशत तक ँण्य का मूल्य की अंतर्निहित आर्थिक जोखिम से प्रतिरक्षा (हजिंग) की अनुमति दे सकता है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत किया है, घरलू कर्यूड ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियों को कच्चे तल की खरीद और इंधन उत्पादों की बिक्री पर उनका निहित आर्थिक जोखिमों का आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्रपारीय मंडियों/ बाजारों अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की जोखिम से बचाव करने (हजिंग) की अनुमति दे सकता है। हजिंग की अनुमति पूर्णतया संविदाओं में अंतर्निहित प्रावधानों का अनुसार ही दी जायें।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, घरलू कर्यूड ऑयल

मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियों को उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक आयात-निष्पादन के 50 प्रतिशत अथवा पिछले वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक आयात का 50 प्रतिशत अथवा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान किये गये औसत आयात, जहाँ भी अधिक हो तक पण्य के मूल्य की आर्थिक जखिम से प्रतिरक्षा (हेजिंग) की अनुमति दे सकते हैं। इस सुविधा के तहत बुक की गई संविदाओं को हेजिंग की करेंसी के दौरान समर्थनकारी आयात आदेश जमा करके नियमित करना होगा। कंपनियों से इस आशय का एक वचनपत्र ले लिया जाए।

टिप्पणी: इन आर्थिक जखिमों से प्रतिरक्षा (हेजिंग) पर व्यापक दिशा-निर्देश और रिपोर्टिंग अपेक्षाएं संलग्नक -XII में दिए गए हैं।

इ विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा पण्य हेजिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनियों को निर्यात / आयात पर उनके पण्य मूल्यों की हेजिंग के लिए विदेशी पण्य मंडियों / बाजार में हेजिंग लेनदेन की अनुमति दे सकता है। शर्तें ऐसी संविदा एकल आधार पर की जाती हैं।

टिप्पणी : 'एकल आधार' शब्द विशेष आर्थिक क्षेत्र की उन इकाइयों से अभिप्रेत है जिसका मुख्य भूभाग में अपने मूल अथवा सहायणी अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जहां तक की उसके आयात/निर्यात लेनदेनों का संबंध हो किसी प्रकार का वित्तीय संबंध नहीं हो।

6. माल भाड़ा जखिम का बचाव (हेजिंग)

अ. माल भाड़ा जखिम वाली निवासी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंडी/ बाजार में जखिम से बचाव करने की अनुमति है। यह ध्यान रहे कि यहाँ प्राथमिक रूप से प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भूमिका समय-समय पर मार्जिन अपेक्षाओं के लिए विदेशी मुद्रा राशियों का विप्रेषण है। इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य उत्पाद के साथ नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंडी/ बाजार में प्लेन वॉलिला काउंटर पर (ओटीसी) अथवा एक्सचेंज व्यवसाय उत्पादों के रूप में अनुमत अधिकतम भाव एक वर्ष आगे का होगा। विनिमय गृह, जहां उत्पादों की खरीद की जाती है विनियमित संस्था है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को यह सुनिश्चित करें कि अपने माल भाड़ा ऋण जखिम का बचाव करने वाली संस्थाओं में :

- i. बॉर्डर द्वारा अनुमोदित जखिम प्रबंध नीति है जो डेरिवेटिव्स लेन-देन और जखिम उठाये जाने के संबंध उसकी रूपरेखा को पूर्णतया परिभाषित करती है।
- ii. विशिष्ट गतिविधि और समुद्रपारीय विनिमय गृहों / बाजारों में व्यवसाय करने के लिए भी कंपनी द्वारा अपने बॉर्डर की अनुमति प्राप्त की गयी है।
- iii. बॉर्डर का अनुमोदन जिसमें, लेन-देन करने के लिए सुव्यक्त प्राधिकारण / प्राधिकारणों/

प्रतिभूतियों की दैनिक बाजार दर मूल्य नीति, ओवर दि काउटर डेरिवेटिव्स (ओटीसी) के लिए अनुमत काउटर पार्टियों आदि अनिवार्यतया शामिल किये जायें।

iv. लेन-देनों की एक सूची छःमाही आधार पर बर्क कप्रस्तुत की जाये।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक, कपनी कलेन-देनों की अनुमति प्रदान करते समय ही उपर्युक्त व्यक्तों कशामिल करने वाली जखिम प्रबन्ध नीति की एक प्रतिलिपि अनिवार्यतया प्राप्त कर लें और उसमें जैसे ही कोई परिवर्तन किये जाते हैं तउसकी भी प्रतिलिपि कपनी से प्राप्त कर लें।

आ. घरेलू तेल शोधन कानियों तथा जहाजरानी कानियों द्वारा भाड़ा प्रतिरक्षा (हेजिंग)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवासी संस्थाओं कसमुद्रपारीय ंण्य हेजिण की अनुमति देने हेतु अधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों कअतर्निहित ऋण जखिम के आधार पर समुद्रपारीय नियमित विनिमय गृहों / ओटीसी बाजारों में घरेलू तेल शोधन कानियों और जहाजरानी कानियों कमाल भाड़ा जखिम के बचाव की अनुमति है।

जखिम के बचाव के लिए अतर्निहित ऋण जखिम का आधार निम्नवत् है :

(क) तेल शोधन कानियों के मामले में-

(i) माल भाड़ा जखिम बचाव, अतर्निहित सघिदाओअर्थात् कच्चे तेल/ पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात/ निर्यात आदेशों पर आधारित हण। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, कच्चे तेल के प्रत्याशित आयातों पर उनके पिछले वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन के आधार पर कच्चे तेल की वास्तविक आयातों की मात्रा के 50 प्रतिशत तक अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयातों की औसत मात्रा का 50 प्रतिशत तक जभी अधिक हण तेल शोधन कानियों कउनके माल भाड़ा जखिम के बचाव के लिए अनुमति दे सकते हैं।

(ii) विगत कार्य-निष्पादन सुविधा के तहत निष्पादित सघिदाओकक बचाव की अवधि के दौरान अतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण द्वारा नियमित किरना हण। कानी से इस आशय का वचनत्र ले लिया जाए।

(आ) जहाजरानी कानियों के मामले में:

(i) जखिम बचाव जहाजरानी कानी के स्वामित्व वाले / नियमित जहाजों के आधार पर हण, जिनके पास कोई वचनबद्ध रणगार नहींहण। बचाव की मात्रा इन जहाजों की सङ्ख्या और क्षमता द्वारा निर्धारित की जाएगी। उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) जखिम बचाव की निष्पादित सघिदाएअतर्निहित दस्तावेज के अर्थात् जखिम बचाव की अवधि के दौरान जहाज पर रणगार से सबधित दस्तावेज प्रस्तुत करके नियमित की जायें। कानी से इस आशय का वचनत्र ले लिया जाए।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंको को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाजरानी कम्पनियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे माल भाड़े परेवेटिव्हा ंहा रानी कानियों के अतर्निहित कारोबार का प्रतिरू ह।

(इ) जोखिम अभिदर्शित करने वाली अन्य कानियों द्वारा माल भाड़े का जोखिम बचाव

"आ " ंर ऊपर दर्शायी गयी कम्पनियों को छोड़कर अन्य कम्पनियाँविदेश नियमित विनिमय गृहों/ओटीसी बाजारों में अने माल भाड़े के जोखिम बचाव के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। आवेदनत्र अने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के अतर्राष्ट्रीय बैंकिण प्रभाग के माध्यम से प्रभारी मुख्य महाप्रबधक, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, फॉरेक्स मारकेट िवीन, अमर बिल्िण, ंचवी मजिल , फोर्ट , मुंबई-400 001 को प्रेषित किये जा सकते हैं।

ख-II

भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

1. विदेशी सथागत निवेशकों के लिए सुविधाएँएफआईआई)

(क) विदेशी सथागत निवेशकों के खाते रखनेवाली प्राधिकृत व्यापारी बैंको की नामित शाखाएँ ऐसे ग्राहकों को निम्नलिखित शर्तों ंर रूया वायदा रक्षा उलब्ध करा सकती हैं :

(i) विदेशी सथागत निवेशकों को किसी विशेष तारीख को भारत में ईक्विटी और/ अथवा ऋण में अने सपूर्ण निवेश के बाजार मूल्य की हेजिंग की अनुमति ह। यदि प्रतिभूतियों की बिक्री से इतर किसी अन्य कारण से, आशिक या पूर्ण रू से षोर्टफोलियो के सकुचन के कारण असुरक्षित (नेके) हो जाता हतो मूल ंरिक्वता तक के लिए इच्छुक होने ंर, हेजिण जारी रखने की अनुमति दी जाए।

(ii) एक बार रद्द की गई इन वायदा सधिदाओको भारत में ईक्विटी और / अथवा ऋण में उनके निवेश के बाजार मूल्य (वित्तीय वर्ष की शुरुआती स्थिति के अनुसार) के 2 प्रतिशत की सीमा तक पुनः बुक किया जा सकता हसीमा की गणना षोर्टफोलियो के बाजार मूल्य ंर आधारित होगी। इन सधिदाओको ंरिक्वता अवधि ंर अथवा उससे ंहले रोल ओवर किया जाए। वायदा रक्षा की निगरानी ंक्षिक आधार ंर अवश्य की जाए। रिोर्टिंग फार्मेट सलग्नक XIII में दिया गया ह।

(iii) हेजिंग की लागत प्रत्यावर्तनीय निधि और/ अथवा सामान्य बैंकिंग मार्ग से आवक प्रेषण में से पूरी की जाती ह।

(iv) हेज के प्रासणिक खर्च के सभी बाह्य प्रेषण लागू करों के निवल हैं ।

(ख) रक्षा के लिए ंत्रता का निर्धारण विदेशी सथागत निवेशक की घोषणा के आधार ंर

किया जाए। बाज़ार मूल्य की घट-बढ़, नई आवक, प्रत्यावर्तित राशि और अन्य संगत मानदंड के आधार पर एक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि बकाया वायदा बचाव निहित जोखिम द्वारा समर्थित है।

2. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए सुविधाएं

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक हेजिंग के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीयों के साथ वायदा संविदा कर सकते हैं:

- (i) किसी भारतीय कंपनी के शेयरों पर उसे प्राप्त लाभांश की रकम।
- (ii) विदेशी मुद्रा अनिवासी एफसीएनआर (बैंक) खाता अथवा अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाते में रखी शेष राशि अथवा एक भाग के रूप में रुपये के साथ दोनों खातों में रखी शेष राशियों पर वायदा संविदा की जा सकती है। एफसीएनआर (बैंक) खातों में शेष राशियों के संबंध में, शेष को एक विदेशी मुद्रा से दूसरी विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए जिसमें एफसीएनआर (बैंक) जमा राशियों को रखने की अनुमति है, विदेशी मुद्रा में (रुपया शामिल न हो) वायदा संविदा भी की जा सकती है।
- (iii) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार पोर्टफोलियो योजना के अंतर्गत किए गए निवेश की राशि अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसार किए गए निवेश, दोनों मामलों में शर्तें पैराग्राफ 1 के परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगी।

3. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हेजिंग के लिए सुविधाएं

- (क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत में जोखिम के सत्यापन के अधीन, 1 जनवरी 1993 से भारत में किए गए निवेशों के लिए भारत से बाहर रहनेवाले निवासियों के साथ वायदा संविदा कर सकते हैं।
- (ख) भारत के बाहर रहने वाले, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक निवासियों को भी प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के साथ भारतीय कंपनी में उनके निवेशों पर मिलने वाले लाभांश पर मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए मुद्राओं में से एक मुद्रा के रूप में रुपया में वायदा संविदा करने की अनुमति है।
- (ग) भारत से बाहर रहनेवाले निवासी, भारत में अप्रत्यापित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से होनेवाली जोखिम की करेंसी जोखिम की हेजिंग के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक के साथ वायदा विक्री संविदा भी कर सकते हैं। ऐसी संविदाएं करने की अनुमति यह सुनिश्चित करने के बाद दी जाए कि विदेशी कंपनियों ने निवेश की सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और निवेश के लिए आवश्यक अनुमोदन (यथा लागू)

प्राप्त कर लिए हैं। सप्लिदा की अवधि छः महीनों से ज्यादा न हए उसके बाद सप्लिदा जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता हएगी। ये सप्लिदाएएयदि रद्द कर दी जाती हैं तए वे उसी अतर्वाह और विनिमय लाभों के लिए, यदि कोई हए दुबारा सप्लिदा के लिए ँत्र नहीहोंगी एवएद्द करने के ँश्वात् विदेशी निवेशक कएनहीभेजी जा सकेंगी।

टिप्पणी : विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न की सभी सप्लिदाएए जिसकी विदेशी सप्लिथागत निवेशकों कए छडकर भारत के बाहर रहने वाले निवासी के लिए अनुमति हए एक बार रद्द करने के ँश्वात् दुबारा बुकिश किए जाने के लिए ँत्र नहीहोंगी। विदेशी सप्लिथागत निवेशक उएर्युक्त पड्डा अ.9.(क) (ii)के अनुसार सप्लिदाओएकी पुनःबुकिश कर सकते हए।

खए III

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए सुविधाएए

1. बैंक की ँरिसं ँति- देयताओं का प्रबंध

क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , अएनी ँरिसं ँति-देयता सविभाग की संभवित क्षति से बचाव के लिए निम्नलिखित लिखतों का उपयोग कर सकते हैं :

ब्याज दर स्वए, करेंसी स्वए, और वायदा दर करार।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अपने विदेशी मुद्रा के स्वामित्व की व्यापारिक स्थिति की हेएि श के लिए क्रय अथवा विक्रय विकलए की खरीद का उपयोग कर सकते हैं।

ख) इन लिखतों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन हएगा

(i) इस सड्डख में उएर्युक्त नीति उनके शीर्ष प्रबड्ड द्वारा अनुमएदित हए।

(ii) हेज का मूल्य और उसकी ँरिँक्वता निहित प्रतिभूतियों से अधिक न हए।

(iii) कोई एकल आधार लेनदेन शुरू नहीकिया जा सकता हए। यदि हेज आशिक या पूर्ण रूए से पार्टफएलियए के सड्डुचन के कारण असुरक्षित (naked) हए जाता हए तए हेज मूल ँरिँक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जाए और नियमित अतराल ँर बाजार के अनुसार मूल्याकृत किया जाए ।

(iv) इन लेनदेनों से हएने वाली निवल आय कएआय और व्यय के रूए में बुक किया जाता हए तथा जहाकहीहएागू हएविनिमय के रूए में गणना की जाती हए।

2. स्वर्ण कीमतों की हेजिङ

स्वर्ण जमा याजना के परिचालन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मूल्य जखिम पर काबू पाने के लिए विनिमय व्यापार और ओवर-दि-काउटर समुद्रपारीय बचाव उत्पाद उपयुक्त कर सकते हैं। परन्तु फिर भी, विकल्प वाले उत्पाद उपयुक्त करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष या अन्निहित रूप से प्रीमियम की निवल प्राप्ति नहीं हो रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्राधिकृत बैंकों को स्वर्ण में निहित विक्री, खरीद और ऋण की लेनदेन के लिए अपने ग्राहकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातकों, स्वर्णाभूषण निर्माताओं/व्यापार गृहों, आदि) के साथ वायदा सविदा करने के लिए अनुमति है। इस प्रकार की सविदाओं की मीयाद 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. पूंजी की हेजिङ

(क) विदेशी बैंक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय बहियों में दर्ज टियर-I की अपनी संपूर्ण पूंजी का बचाव कर सकते हैं।

(i) वायदा सविदा एक साल या उससे अधिक अवधि के लिए होनी चाहिए और परिपक्वता पर उसे आगे बढ़ाया (राल-ओवर) किया जा सकता है। रद्द किए गए हेज की पुनः बुकिंग के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा;

(ii) भारत में स्थानीय विनियामक और सीआरआर की अपेक्षाओं के लिए पूंजीगत निधियां उपलब्ध होनी चाहिए। अतः हेजिंग से उपचित होनेवाली विदेशी मुद्रा निधियां नॉन्-एक्साते में जमा नहीं की जानी चाहिए बल्कि भारत में बैंकों के पास उसकी हर समय अदला - बदली (स्वप) होनी चाहिए।

(ख) बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के 14 फरवरी 2002 के परिपत्र क्रं. आईबीएस.बीसी.65/23.10.015/2001-2002 के अनुसार विदेशी बैंकों को अपनी स्तर II पूंजी को गौण ऋण के रूप में प्रधान कार्यालय उधार के रूप में उसे हर समय भारतीय रुपये में अदला-बदली (स्वप) करके बचाव करने की अनुमति है।

4. भारत में करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में सहभागिता

भाग-अ, खंड-I, पृष्ठा 4 देखें जिसके अनुक्रम में,

(क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के 06 अगस्त 2008 के परिपत्र क्रं. एफएसडी.बीसी.29/24.01.001/2008-092 से नियंत्रित होंगे।

(ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में स्वयं अथवा ग्राहकों की ओर से निम्नलिखित विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने पर क्रय-विक्रय और समाशाधन हेतु सदस्य

बन सकते हैं।

- (i) 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मालियत।
- (ii) दस प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर।
- (iii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियाँ 3% से अधिक न हो।
- (iv) पिछले 3 वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो।

विवेकपूर्ण मानदण्ड पूरा करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मुद्रा वायदा सविदाओं के क्रय-विक्रय तथा समाशोधन और जोखिम प्रबंधन हेतु अपने बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करें।

- (ग) निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदण्ड पूरा न करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, जो कि शहरी सहकारी बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित नियंत्रक विभागों के अनुमोदन से मुद्रा वायदा बाजार में केवल ग्राहक (क्लायंट) के रूप में भाग ले सकते हैं।
- (घ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निवल जोखिम स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल सीमाओं के विवेकपूर्ण मानदण्डों की सीमा में रहकर अपना कारोबार करेंगे। अपने निजी खाते पर बैंकों के निवेश करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में निवल जोखिम स्थिति (एनओपी) और सकल अंतराल सीमाओं का एक हिस्सा बनायेंगे।

भाग आ

अनिवासी बैंकों के खाते

1. सामान्य

- (i) किसी अनिवासी बैंक के खाते में क्रेडिट देना अनिवासियों को भुगतान करने का अनुमत तरीका है और इसी कारण, यह विदेशी मुद्रा के अंतरण के लिए लागू विनियमों के अधीन है।

- (ii) किसी अनिवासी बैंक के खाते को डेबिट करना वास्तव में किसी विदेशी मुद्रा में आवक प्रेषण करना है।

2. निवासी बैंकों के रुपये खाते

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I, भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्व सवर्भित किए बिना, अपनी विदेश स्थित शाखा अथवा संपर्क शाखा के नाम में रुपया खाता (बिना ब्याज वाले) खोल/ बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर कार्यरत पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम में रुपया खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता है।

3. अनिवासी बैंकों के खातों का निधीयन

- (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत में अपनी सुसज्जित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खातों में निधि रखने हेतु अपने विदेशी संपर्कों/ शाखाओं से प्रचलित बाज़ार दर पर विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से खरीद कर सकते हैं।
- (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी बैंक, रुपये के संचयन में कोई द्विविधापूर्ण नज़रिया नहीं रखते हैं, खाते में होने वाले लेनदेनों पर कड़ी निगरानी रखी जाय। इस प्रकार की घटित होने वाली किसी भी घटना की भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में लाया जाय।

टिप्पणी : निधीयन के लिए रुपये के बदले विदेशी मुद्रा की वायदा खरीद अथवा बिक्री निषिद्ध है। अनिवासी बैंकों को द्विमार्गी प्रस्ताव करना भी निषिद्ध है।

4. अन्य खातों से अंतरण

उसी बैंक अथवा भिन्न बैंकों के खातों से निधियों के मुक्त रूप से परस्पर अंतरण की अनुमति है।

5. विदेशी मुद्राओं में रुपये का परिवर्तन

अनिवासी बैंकों के रुपये खाते में रखी शेष राशि विदेशी मुद्रा में मुक्त रूप से परिवर्तित की जा सकती है। इस प्रकार के सभी लेनदेन फार्म ए 2 में दर्ज किए जाएं और संचित विवरणियों के तहत खाते में तदनुसूची नाम (डेबिट) फार्म अ-3 में दर्ज किए जाएं।

6. भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता बैंकों की जिम्मेदारियाँ

खाते में क्रेडिट देने से संबंधित मामलों में भुगतान करने वाले बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है और उन्हें यथास्थिति, फार्म अ1/ अ2 में ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

7. रुपया प्रेषणों की वापसी

इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि धन वापसी क्षतिपूर्ति रूप के लेन देनों की रक्षा के लिए नहीं की जा रही है, आवक प्रेषणों को रद्द करने अथवा उनकी वापसी के अनुरोध को रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना अनुपालित किया जाए।

8. विदेश में स्थित शाखाओं/ संपर्क कार्यालयों को ओवरड्राफ्ट/ऋण

- (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, अपनी विदेश स्थित शाखाओं/ संपर्क कार्यालयों को कारोबारी सामान्य जरूरतें पूरी करने के लिए अधिकतम कुल 500 लाख रुपये तक के अस्थायी ओवरड्राफ्ट की अनुमति दे सकते हैं। यह सीमा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की सभी शाखाओं की बहियों में सभी विदेशी शाखाओं और संपर्क पर बकाया राशि पर आधारित होती है। इस सुविधा का उपयोग खातों के निधीयन का स्थगित करने के लिए न किया जाए। उक्त सीमा से अधिक के ओवरड्राफ्ट का पांच दिन के भीतर समायाजन नहीं किया जाता है तो उसका कारण दर्शाते हुए उसकी रिपोर्ट महीने की समाप्ति के 15 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग का दी जाए। यदि व्यवस्था वैल्यू डेटिंग (value dating) के लिए है तो इस तरह की रिपोर्ट जरूरी नहीं है।
- (ii) विदेशी बैंकों को उक्त (i) में उल्लिखित से अधिक कोई अन्य ऋण सुविधा देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई की पूर्व अनुमति प्राप्त करें।

9. विनिमय गृहों के रुपये खाते

भारत में निजी प्रेषणों को सुविधा प्रदान करने के लिए विनिमय गृहों के नाम से रुपये खाते खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है। व्यापार लेनदेन के वित्त पोषण के लिए विनिमय गृहों के माध्यम से प्रेषण प्रति लेनदेन 2,00,000 रुपये तक की अनुमति है।

भाग - इ

अंतर बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार

1. सामान्य

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के निदेशक मंडल, विविध राजकोषीय कार्यों के लिए उपयुक्त नीति बनाए और उपयुक्त सीमा नियत करें।

2. स्थिति और अंतराल

एक दिवसीय निवल आरंभिक विदेशी मुद्रा की स्थिति (संलग्नक- I) और सकल अंतर सीमा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है।

3. अंतर बैंक लेनदेन

पद्याग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, मुक्त रूप से निम्नवत् विदेशी मुद्रा का लेनदेन कर सकते हैं :

क) भारत में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के साथ :

- (i) रुपये अथवा अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा की खरीद/बिक्री/अदला-बदली।
- (ii) विदेशी मुद्रा में ँ मा राशि रखना/ स्वीकार करना और उधार लेना/ देना।

ख) विदेशी बैंकों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित ऑफ-शोर (off- shore) बैंकिंग इकाइयों के साथ :

- (i) ग्राहकों के लेनदेन की रक्षा अथवा अपने स्वयं की स्थिति के समायोजन के लिए अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा की खरीद/ बिक्री/ अदला-बदली।
- (ii) विदेश स्थित बाजारों में ट्रेडिंग पोषिशन की पहल करना

पिप्पणी :

अ) अनिवासी बैंकों के खातों का निधीयन - भाग-आ का पद्या आ.3 देखें।

आ) अंतर बैंक बाजार में की गई बिक्री के लिए फार्म अ 2 को भरना ँ रूरी नहीं है। परंतु ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना रिज़र्व बैंक को आर विवरणियों में दी ँ है।

4. विदेशी मुद्रा खाते / विदेशी बाजारों में निवेश

(i) विदेशी मुद्रा खाते में अंतर्वाह मुख्यतः ग्राहकों से संबंधित लेनदेन, अदला-बदली कारोबार, ँ मा, उधार आदि द्वारा होता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विदेशी मुद्राओं में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित स्तर तक शेष रख सकते हैं। वे अपने विदेश स्थित शाखाओं/ संपर्क शाखाओं में एक दिवसीय ँ मा और निवेश के माध्यम से अधिशेष राशि का मुक्त रूप से प्रबंध कर सकते हैं, बशर्ते वे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंतराल सीमा का पालन करते हैं।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी बाजारों में निवेश के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे निवेश विदेशी मुद्रा बाजार के लिखतों में विदेशी राज्य द्वारा ँ री एक वर्ष से कम की शेष परिपक्वता अवधिवाले और/ अथवा स्पीड एण्ड पुअर / एफआइपीसीएच, आइबीसीए की AA(-) श्रेणी प्राप्त अथवा मूडीज़ की Aa3 श्रेणी प्राप्त ऋण लिखतों में कर सकते हैं। विदेशी राज्य के मुद्रा बाजार लिखतों को छोड़कर ऋण लिखतों में निवेश के प्रयोजन से बैंक के बोर्ड देश की रेडिंग और देशवार सीमा ँ हों ँ रूरी हो, अलग से निर्धारित कर सकते हैं।

टिप्पणी: इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मुद्रा बाजार लिखत" का मतलब ऐसा कोई ऋण लिखत है जिसकी परिपक्वता अवधि खरीद की तारीख को एक साल से अधिक न हो।

- (iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विदेशी बाजारों में एफसीएनआर (बी) खाते में पड़ी अनियोजित निधि का दीर्घावधि नियत आय की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, बशर्ते प्रतिभूतियों में निवेश की परिपक्वता निहित एफसीएनआर (बी) जमा की परिपक्वता से अधिक न हो।
- (iv) नॉस्त्रा खाते में अधिशेष दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा निधियों का निम्न प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है :
 - (क) विवेकशील/ ब्याज दर मानदंडों, ऋण अनुशासन और प्रचलित ऋण निगरानी दिशा-निर्देशों के अधीन अपने निवासी ग्राहकों को उनकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं अथवा रुपया कार्यशील पूंजी/ पूंजीगत खर्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने हेतु।
 - (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन, विदेश स्थित भारतीय पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कम्पनियाँ सञ्चालित उद्यमों जिनकी कम से कम 51 प्रतिशत ईक्विटी निवासी कम्पनी के पास हो, को ऋण देने के लिए।
- (v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अदावी खातों में जमा शेष, असञ्चित नामे/ जमा प्रविष्टियों को बट्टे खाते डाल सकते हैं/ अचरित कर सकते हैं।

5. ऋण/ओवरड्राफ्ट

- क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, की समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार की सभी श्रेणियाँ (नीचे (ग) के उधार को छोड़कर), जिसमें वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार और उनके प्रधान कार्यालय, समुद्रपारीय शाखाओं और संपर्ककर्ताओं से प्राप्त ऋण/ ओवरड्राफ्ट एवमनास्त्रो खाते में ओवरड्राफ्ट (5 दिनों के अंदर समायोजित न किए गए) शामिल हैं, उनके अक्षत स्तर I पूर्ण (अनइम्पेयर्ड टियर-I कैपिटल) के 50 प्रतिशत अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (अथवा इसके समतुल्य) जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त सीमा विदेश की उनकी सभी शाखाओं/संपर्ककर्ताओं से भारत स्थित सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा ली गई सकल रशि पर लागू है और इसमें देशी स्वर्ण ऋण के निधीयन के लिए स्वर्ण में विदेशी उधार भी शामिल है (संदर्भ: डीबीओडी का दिनांक 5 सितंबर 2005 का परिपत्र स/आईबीडी.बीसी. 33/23.67.001/2005-06)। उपर्युक्त सीमा से अधिक के आहरण पाछ दिन के अंदर समायोजित नहीं किए जाते हैं तो जिस महीने में सीमा से अधिक का आहरण किया गया है उसकी समाप्ति से 15 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट सन्नगनक-VIII में दिए गए फार्मेट में मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेश मुद्रा बाजार प्रभाग, मुंबई 400001 को प्रस्तुत किया जाए। राशि उपलब्धता की तारीख (वैल्यू डेटिण्ड) की व्यवस्था रहने पर ऐसे रिपोर्ट की

आवश्यकता नहीं है।

- ख) इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में उधार दिलाएँ। इतर प्रयोजनों के लिए किया जाए तथा रिज़र्व बैंक को बताया बगैर चुका दिया जाए। इस नियम का अंश वादस्वरूप, प्राधिकृत व्यापारियों को उधार ली गई निधियों और जनवरी 31, 2003 का आईसीडी रिपोर्ट सं. 12/04.02.02/2002-03 का अनुसार निर्यात ऋण के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करने पर अदला-बदली (स्वैच्छित) के जरिए प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों का उपयोग की अनुमति है। इस सीमा से अधिक के लिए उधार भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्वानुमति नहीं मिले जा सकता है। नए बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार आवंटन दे दिए जाएं।
- (ग) निम्नलिखित उधार अक्षत पूंजी स्तर I का 50% की सीमा या 10 मिलियन अमरीकी डालर (अथवा इसका समतुल्य) जहाँ भी अधिक हो सके अधिक होना जारी रहना :
- (i) विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर 01 जुलाई 2003 का आईसीडी का मास्टर रिपोर्ट में निर्धारित शर्तों के अधीन निर्यात ऋण के वित्तपोषण हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा विदेशी उधार।
- (ii) स्तर II पूंजी के रूप में भारत में अपनी शाखाओं के पास विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा रखे गए गौण ऋण।
- (iii) नवसंवाद बखीयादी और ऋण पूंजी लिखतों द्वारा विदेशी मुद्रा में उगाही गई/ बढ़ाई गई पूंजी निधियां 25 जून 2006 का डीबीओडी रिपोर्ट सं. बीपी.बीसी. 57/ 21.01. 002/2005-06 और 21 जुलाई 2006 का डीबीओडी रिपोर्ट सं. बीपी.बीसी. 23/ 21.01.002/ 2006-07 का अनुसार है।
- (iv) रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमति से कोई अन्य विदेशी उधार ।
- (घ) ऋण/ ओवरड्राफ्ट पर ब्याज (कर का निवल) रिज़र्व बैंक को पूर्वानुमति के बिना प्रेषित किया जा सकता है।

भाग – ई

भारतीय रिज़र्व बैंक के रिपोर्ट

- (i) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, का प्रधान/ मुख्य कार्यालय, प्रतिदिन विदेशी मुद्रा के अभाव की रिपोर्ट ऑनलाइन रिटर्न्स फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से फार्म एफटीडी में और अंतराल स्थिति एवं नकदी शेष की रिपोर्ट, संलग्नक II में दिए फार्मेट के अनुसार, फार्म जीपीवी में भेजे।

- (ii) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, के प्रधान/ मुख्य कार्यालय नॉन्स्रो/ वॉन्स्रो खाते की जमा शेष विवरणी मासिक आधार पर, सलग्नक-III में दिए गए फार्मेट में, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंजिल, फोर्ट, मुंबई 400001 को भेजें। आंकड़े फॉक्स अथवा फार्मेट में उल्लिखित ई-मेल नंबर / पते पर भी भेजे जाएं।
- (iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, उक्त पद्याग्राफ 2(ii) और (iv) के अनुसार निवासियों द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेनों के आंकड़ों को समेकित करें और छमाही रिपोर्ट (जून और दिसंबर) सलग्नक-IV में उल्लिखित फार्मेट के अनुसार मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को भेजें।
- (iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विदेशी मुद्रा में अपनी जोखिमों के विवरण हर वर्ष पहली अप्रैल की स्थिति के अनुसार, सलग्नक-V में उल्लिखित फार्मेट में मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को भेजें। कृपया नोट करें कि सभी कम्पनी ग्राहकों के जोखिमों के ब्योरों को रिपोर्ट में शामिल किया जाना है।
- (v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, को प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को सभी सघर्णों के अंतर्गत अपनी कुल बकाया विदेशी मुद्रा उधार की सूचना सलग्नक-VIII के फार्मेट के अनुसार मुख्य महाप्रबन्धक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 को देनी है। रिपोर्ट अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक प्राप्त होनी चाहिए।
- (vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, से अपेक्षित है कि वह सलग्नक-IX में दिए गए फार्मेट के अनुसार पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर वायदा सघिदा बुकिंग सुविधा के तहत उनके ग्राहकों द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई सीमाओं के सघर्ण में एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को) प्रस्तुत करें। रिपोर्ट मुख्य महाप्रबन्धक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 को और ईमेल द्वारा fedcofmd@rbi.in को इस प्रकार भेज दिए जाएं कि यह अगले माह के 10 तारीख तक विभाग में पहुंच जाए।
- (vii) सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के प्रधान/ मुख्य कार्यालय अपनी सभी विदेशी मुद्रा की अपनी धारिता का विवरण देते हुए फार्म बीएएल में मासिक आधार पर संबंधित रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के त्वात् सात दिनों के अंदर ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से भेजें।
- (viii) विदेशी संस्थागत निवेशक/ निधि का नाम, रक्षा की मात्र राशि और ली गई वास्तविक रक्षा

को दर्शाते हुए, विदेशी संस्थागत निवेशक के द्वारा लिए गए कवर के बारे में एक मासिक विवरणी संलग्नक XII में अगले महीने की दसवीं तारीख तक, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को भेजी जाए।

- (ix) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के प्रधान/ मुख्य कार्यालय अथवा सभी कार्यालयों/ शाखाओं, जो रूपा खाता रखती हैं, की अद्यतन सूची (तीन प्रतियों में) प्रति वर्ष दिसंबर की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें आबंटित कोड नंबर का उल्लेख करते हुए भेजी जाए। यह सूची अगले वर्ष की 15 नवरी से पहले केंद्रीय कार्यालय, रिज़र्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकीय प्रभाग, मुंबई 400001 को भेजी जाए। कार्यालयों/ शाखाओं का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के क्षेत्राधिकार, जहां वे कार्यरत हैं, के अनुसार किया जाना चाहिए।
- (x) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, से अपेक्षित है कि वह लघु एवं मझोले उद्यमों और निवासी व्यक्तियों द्वारा बुक की गयी और निरस्त की गयी वायदा संविदा की संलग्नक-XIV में दिए गए फॉर्म में एक तिमाही रिपोर्ट अगले महीने के प्रथम सप्ताह के भीतर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत की जाए।

संलग्नक-I

[भाग- इ. का अंश 2 देखें]

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के विदेशी मुद्रा लेखिम सीमाओं के लिए दिशा- निर्देश

1. क्षेत्र विस्तार

भारत में निगमित बैंकों के लिए प्रबंधन द्वारा सभी शाखाओं और उनकी विदेशी शाखाओं

और ऑफ शोर बैंकिंग युनिट सहित सभी के लिए जोखिम सीमा नियत की गई है। विदेशी बैंकों के लिए सिर्फ उनकी भारत स्थित शाखाओं पर ही सीमा लागू होगी।

2. पूँजी

पूँजी का षय भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार स्तर - I पूँजी है।

3. एकल मुद्रा में निवल जोखिम स्थिति की गणना

प्रत्येक विदेशी मुद्रा के लिए जोखिम की स्थिति पहले अलग-अलग अनिवार्यतया मापी जाए। मुद्रा की जोखिम स्थिति (क) निवल हाज़िर स्थिति, (ख) निवल वायदा स्थिति और (ग) निवल विकल्प स्थिति का जोड़ है।

(क) निवल हाज़िर स्थिति

तुलनपत्र में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां और देयताओं का अंतर निवल हाज़िर स्थिति है। इसमें सभी उपचित षय/व्यय शामिल किया जाए।

(ख) निवल वायदा स्थिति

यह विदेशी मुद्रा लेनदेन समाप्त होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त सभी राशियों में से भविष्य में भुगतान की जाने वाली समस्त राशियों को घटाकर प्राप्त निवल राशि को दर्शाता है। इन लेनदेन में, जिन्हें बैंक बहियों में तुलनपत्र में न षने वाली मदों में रिकार्ड किया गया है निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (i) अब तक न निपटाए गए हाज़िर लेनदेन
- (ii) वायदा लेनदेन
- (iii) गारंटी और विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित समान वायदे, जिन्हें ष हूत किया जाना निश्चित है।
- (iv) मुद्रा के भावी सौदे से संबंधित प्राप्त/भुगतान की जाने वाली निवल राशि और मुद्रा के भावी सौदे / स्वप्न पर मूल

(ग) निवल ऑप्शन्स स्थिति

प्राधिकृत व्यापारियों के ऑप्शन्स जोखिम प्रबंध प्रणाली में दर्शाई गई "प्लेटा - समकक्ष" हाज़िर मुद्रा-स्थिति ऑप्शन्स स्थिति है। और इसमें कोई भी प्लेटा-हेज शामिल है जो 3(क) या 3(ख)(i) और (ii) में पहले से शामिल नहीं है।

4. समग्र निवल जोखिम स्थिति की ँणना

इसमें बैंक की विभिन्न मुद्राओं की अधिविक्री और अधिक्रय की मिलीजुली निहित ँखिम को मापना शामिल है। यह निर्णय लिया ँया है कि समग्र निवल ँखिम स्थिति की ँणना के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य "शार्टहैंड मण्ड" को अपनाया जाए। इसलिए बैंक निम्न प्रकार से समग्र निवल स्थिति की ँणना करें :

- (i) प्रत्येक मुद्रा की निवल जोखिम स्थिति की ँणना करें (उक्त पण्णाग्राफ 3)।
- (ii) निवल जोखिम स्थिति की ँणना स्वर्ण में करें।
- (iii) निवल स्थिति को विविध मुद्राओं और स्वर्ण को भारतीय रिज़र्व बैंक / एफईडीएआइ के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार रूपय में परिवर्तित करें। वायदा विदेशी मुद्रा संधिदाओं सहित सभी डेरिवेटिव्स लक्षदलों को वर्तमान मूल्य समायोजन आधार पर रिपोर्ट किया जाए।
- (iv) सभी निवल अधिविक्री का जड़ प्राप्त करें।
- (v) सभी अधिक्रय का निवल जड़ प्राप्त करें।

समग्र निवल विदेशी मुद्रा की स्थिति (iv) अथवा (v) से अधिक है। विदेशी मुद्रा की उक्त प्रकार से ँणना की ँई समग्र निवल स्थिति रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा के अंदर रखी जानी चाहिए।

टिप्पणी : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निवल जोखिम स्थिति की ँणना के प्रयोजन से वर्तमान मूल्य समायोजन के आधार पर वायदा विदेशी मुद्रा संधिदाओं सहित सभी डेरिवेटिव्स लक्षदलों को रिपोर्ट करें। डिस्काउंट फ़ैक्टर की ँणना के लिए निम्नलिखित प्रतिफल ग्राफों (यील्ड कर्व्स) का उपयोग किया जाए :

- (i) 12 माह तक की अवधि वाला वायदा विदेशी मुद्रा संधिदाओं के लिए लाइव लिबोर दर।
- (ii) 12 माह से अधिक और 13 माह की अवधि वाला वायदा विदेशी मुद्रा संधिदाओं के लिए 11 और 12 महीने के लिबोर दरों पर विचार किया जाए, 13 माह के लिबोर दर को पाने के लिए इन दो महीनों के अंतर को 12 माह के लिबोर दर से जोड़ दिया जाए।
- (iii) 13 माह से अधिक वायदा विदेशी मुद्रा संधिदाओं और अन्य सभी डेरिवेटिव्स संधिदाओं के लिए :
निवल वर्तमान मूल्य को प्राप्त करने के लिए डिस्काउंट फ़ैक्टर की ँणना पण्ण आइसीएपी1 और रियूटर (REUTERS) के एसडब्ल्यूएक्यू स्क्रीन पर सतत आधार पर आनलाइन फ़्रेंट स्वप् कर्व के आधार पर की जाए (अर्थात् एक विशिष्ट समय को अपना कर पर जिस पर उसी निर्धारित किया जाता है)। अपनाई जान वाली पद्धति/ दरों का चयन/ निर्दिष्ट समय आदि प्रबंधन द्वारा अपने-अपने बैंक के निर्धारित नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक हिस्सा हो।

5. पूंजी आक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित।

* * * * *

संलग्नक- II

[भाग- ई का पन्ना (i) देखें]

विदेशी मुद्रा टर्नओवर डाटा की रिपोर्टिंग - एफडीडी और पीपीबी

एफडीडी और पीपीबी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश और फार्मों नीचे दिए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , सुनिश्चित करें कि इन दिशा-निर्देशों के आधार पर रिपोर्टें उचित रूप से संकलित

की जाती हैं; एक खास तारीख के आकड़े कारोबार की समाप्ति के अगले कार्य दिवस तक हमारे पास पहुंच जाने चाहिए।

एफटीपी

1. **स्पॉट** - नकदी और टॉम लेनदेनों को "स्पॉट" लेनदेनों में शामिल किया जाना है।
2. **स्वप्न** - स्वप्न लेनदेनों के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के बीच हुए विदेशी मुद्रा स्वप्न की ही रिपोर्टिंग की जाए। दीर्घावधि स्वप्न (परस्पर लेनदेन की मुद्रा और विदेशी मुद्रा रुपया स्वप्न दोनों) को इस रिपोर्ट में शामिल न किया जाए। स्वप्न लेनदेनों की रिपोर्टिंग केवल एक बार की जाए तथा "स्पॉट" अथवा "फॉरवर्ड" लेनदेनों के तहत इसे शामिल न किया जाए। खरीद/ बिक्री स्वप्न को "स्वप्न" के तहत "खरीद" की तरफ शामिल किया जाए जबकि बिक्री/ खरीद स्वप्न को "बिक्री" की तरफ दर्शाया जाए।
3. **वायदा सविदाओफ़े रद्द करना** - व्यापारियों से खरीद पर वायदा सविदाओफ़े रद्द होने के तहत रिपोर्ट की जानेवाली राशि, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा रद्द किए गए वायदा व्यापारी बिक्री सविदा का सकल हो (बाजार में आपूर्ति को जड़कर)। रद्द वायदा सविदाओफ़े बिक्री की तरफ, रद्द वायदा खरीद सविदाओफ़े सकल को दर्शाया जाए (बाजार में मांग को जड़कर)।
4. **एफसीवाइ/ एफसीवाइ लेनदेन** - लेनदेन के दोनों चरणों का अपने-अपने स्तम्भ में रिपोर्ट किया जाए। उदाहरण के लिए ईयूआर/ यूएसपी खरीद सविदा में ईयूआर राशि को खरीद की तरफ शामिल किया जाए जबकि यूएसपी राशि को बिक्री की तरफ शामिल किया जाए।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन को अंतर बैंक लेनदेनों में शामिल किया जाए। विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों से इतर वित्तीय संस्थाओफ़े साथ लेनदेनों को व्यापारी लेनदेनों में शामिल किया जाए।

जीपीबी

1. **विदेशी मुद्रा शेष** - सभी विदेशी मुद्रा नकद शेष और निवेशों को अमरीकी डॉलर में परिवर्तित किया जाए और इस शीर्ष के तहत रिपोर्ट किया जाए।
2. **निवल षेखिम विदेशी मुद्रा स्थिति** - यह करोड़ रुपए में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के समग्र एक दिवसीय निवल षेखिम विदेशी मुद्रा को दर्शाए। निवल एक दिवसीय षेखिम विदेशी मुद्रा स्थिति का आकलन उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के सलग्नक I में दिए गए अनुदेशों के आधार पर किया जाए।
3. **उपर्युक्त एफसीवाइ/ आईएनआर का** - राशि को रुपए के सामने दर्ज किया जाए अर्थात् निवल एक दिवसीय षेखिम विदेशी मुद्रा में से परस्पर लेनदेन की मुद्रा, यदि कोई हो तो उसे घटाए।

एफटीपी और जीपीबी विवरणों का फॉर्मट

एफटीपी

विदेशी मुद्रा का दैनिक पण्यवर्त दर्शाने वाला विवरण दिनांक-----

		व्यापारी			अंतरबैंक		
		हाज़िर, नकद, तैयार, टी.टी. आदि	वायदा	वायदों का निरस न	हाज़िर	अदला बदली	वायदा
एफसीवाइ/आइएनआर	से खरीदा गया						
	कबेचा गया						
एफसीवाइ/एफसीवाइ	से खरीदा गया						
	कबेचा गया						

पीपीबी

.....कअंतराल, स्थिति और नकद शेष दर्शानेवाला विवरण

विदेशी मुद्रा शेष	:	मिलियन अमरीकी डॉलर में
(नकद शेष + सभी निवेश)	:	
निवल ँ खिम विनिमय स्थिति (रुपये)	:	भारतीय करुए रुपए में ओ/बी (+)/ओ/एस (-)
एफसीवाइ/ आइएनआर	:	करुए रुपए में
एपीएल रखा गया (अमरीकी डॉलर में)	:	वीएआर रखा गया (भारतीय रुपए में):

विदेशी मुद्रा परिपक्वता असंतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

I माह	II माह	III माह	IV माह	V माह	VI माह	>VI माह

संलग्नक- III

[भाग ई , पैरा ई.(ii) देखें]

माह _____ के लिए नॉस्ट्रु/ वॉस्ट्रु माशेष का विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम और पता

क्रम सं.	मुद्रा	नॉस्त्रुखाते में कुल माशेष	वॉस्त्रुखाते में कुल माशेष	

1.	अमरीकी डॉलर			
2.	युरो			
3.	जपानी येन			
4.	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड			
5.	रुपया			
6.	अन्य मुद्राएं (मिलियन अमरीकी डॉलर में)			

टिप्पणी : जिन मामलों में उक्त मदों में (1 से 5 तक) प्रतिमाह 10 प्रतिशत से अधिक घट-पड़ है उन मामलों में उसका कारण पाह-टिप्पणी के रूप में संक्षिप्त रूप में दिया जाए ।

उक्त विवरण निदेशक , अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रभाग , आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 8वीं मंजिल, मुंबई 400 001. फोन : 022- 22663791. फ़ैक्स : 022 - 2262 2993, 22660792. ईमेल - deapdif@rbi.org.in/rajmal@rbi.org.in को संशोधित किया जाना चाहिए।

संलग्नक – IV

[भाग- ई , पैरा (iii) देखें]

परस्पर लेनदेन की मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन - _____ को समाप्त अर्ध वार्षिक विवरण

उत्पाद	लेनदेन की संख्या	आनुमानिक मूल राशि अमरीकी डॉलर में
ब्याज दर स्वैप		
मुद्रा स्वैप		
कूपन स्वैप		
विदेशी मुद्रा विकल्प		
ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद)		
वायदा दर करार		
रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कोई उत्पाद		

संलग्नक- V

[भाग-अ का पैरा -1(एच)]

दिनांक -----को विदेशी मुद्रा के निवेशों से संबंधित जानकारी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक का नाम -----

क्रम सं.	कंपनी का नाम	संबंधित व्यापार				गैर व्यापार संबंधी निवेश-बकाया	तिमाही की समाप्ति पर बैंक के साथ कंपनी द्वारा हेजिंग की राशि				
		तिमाही की समाप्ति पर बकाया व्यापार निवेश	विगत कार्य-निष्पादन आधार के तहत स्वीकार्य सीमा	बकाया अल्पावधि वित्त			वायदा संविदाएं(एक खंड के रूप में रुपये के साथ)	विदेशी मुद्रा /आईएनआर ऑप्शन्स	करेंसी स्वैप (करेंसी अदला-बदली)		
		निर्यात *	आयात **	निर्यात *	आयात **	बैंक/ पीसीएफसी द्वारा मंजूर व्यापार ऋण(क्रेता /आपूर्तिकर्ता का ऋण/)	ईसीबी/ पीसीसीबी(बैंक /एफसीएनआर बैंक लोन द्वारा निष्पादित गए मामले)	क्रय	विक्रय	तेजी	मंदी

* वसूली के बाद प्रेषित सभी निर्यात बिल । सम्मिलित न किए गए खरीदे / भुनाए गये/ वार्तातय निर्यात बिल ।

** सम्मिलित करने हेतु निस्तारित साखण्ड / साखण्ड के तहत निष्पादन हो चुके बिल / आयात आय की वसूली हेतु बकाया बिल

टिप्पणी : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, बैंक के सम्यक रूप से उपर्युक्त डाटा समेकित करें और कंपनी-वार शेष दर्शाते हुए एक्सेल फॉर्मेट में एक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रेषित करें ।

संलग्नक - VI

[भाग-अ का पैरा (ii) (ड) देखें]

आयात / निर्यात पण्यवर्त, अतिदेय आदि के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण

ग्राहक का नाम :- _____

(मिलियन अमेरीकी डॉलर में राशि)

वित्तीय वर्ष (अप्रैल - मार्च)	टर्नओवर		टर्नओवर के अतिदेय बिलों का प्रतिशत		पिछले कार्य - निष्पादन पर वायदा रक्षा आधार पर बुकिंग के लिए वर्तमान सीमा	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
2006-07						
2007-08						
2008-09						

संलग्नक - VII

[भाग-अ , खंड-I, पैरा 2 (iii) देखें]

विदेशी मुद्रा - रुपया ऑप्शन्स

1. प्राधिकृत व्यापारियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा - रुपया ऑप्शन्स देने की अनुमति है :-

- (क) यह उत्पाद न्यूनतम 9 प्रतिशत सीए रए र वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा एक दूसरे पर टिके (बैंक-टू-बैंक) के ऋधार पर दिए जा सकते हैं ।
- (ख) पर्याप्त ऋंतरिक नियंत्रण, जखिम निगरानी / प्रबंध प्रणाली, बाजार मूल्य कोबही में अंकित करने की प्रणाली और निम्नलिखित शर्तों कोपूरा करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , भारतीय रिजर्व बैंक से एक बारगी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विकल्प बही में दर्ज करना प्रारंभ कर सकते हैं:
 - (i) कम से कम तीन साल तक लगातार लाभप्रदता
 - (ii) 9 प्रतिशत की न्यूनतम सीए रए र
 - (iii) समुचित स्तर तक निवल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (निवल अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक न हः)
 - (iv) न्यूनतम शुद्ध मालियत 200 रु. करोड़ से कम न हः
- (ग) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक वर्तमान में केवल साधारण वैनिला यूरोपियन ऑप्शन्स का ही प्रस्ताव दे सकते हैं।
- (घ) (i) ग्राहक क्रय अथवा विक्रय विकल्पों की खरीद कर सकते हैं,
(ii) ग्राहक एकमुश्त उत्पादों के लिए भी जा सकते हैं जिनकी संरचना में लागत-कमी शामिल हः बशर्ते ढांचे से जखिम की वृद्धि न हः और उससे ग्राहक कोकिसी प्रीमियम की प्राप्ति शामिल न हः
(iii) ग्राहकों द्वारा ऑप्शन्स लिखने की अनुमति नहीं है। फिर भी, शून्य लागत विकल्प ढांचे की अनुमति दी जा सकती है।
- (ङ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , उत्पाद का उपयोग करने के इच्छुक ग्राहकों से वचनपत्र लेंगे कि वे उत्पाद के स्वरूप और उसमें निहित जखिमों से भलीभांति परिचित हःगए हैं।
- (च) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक , विकल्प प्रीमियम रुपये में अथवा रुपये / विदेशी मुद्रा की ऋनुमानिक के प्रतिशत में दे सकते हैं।

- (छ) परिपक्वता पर विकल्प संविदाओं का निपटान या तो हाज़िर सुपुर्दगी द्वारा अथवा संविदा में निर्दिष्ट हाज़िर आधार पर निवल नकदी भुगतान द्वारा कर सकते हैं। परिपक्वता से पहले लने देने को समाप्त करने के मामले में संविदा का समरूप समायोजन विकल्प के बाज़ार मूल्य के आधार पर नकदी निपटान किया जाएगा।
- (घ) वायदा संविदाएं करने उनका रोलओवर और निरस्तीकरण का लिए लागू सभी शर्तें विकल्प संविदाओं पर भी लागू होंगी। पूर्व निष्पादन का आधार पर, वायदा संविदा करने का लिए उपलब्ध सीमाओं में, विकल्प लक्ष्य भी शामिल है रिज़र्व बैंक में आवदन करने पर, का वायदा संविदाओं का मामला में है मामला दर मामला आधार पर उच्चतर सीमा अनुमति दी जाएगी।
- (ङ) एक समय में किसी विशिष्ट षेखिम का लिए/ अथवा उसका किसी अंश का लिए कबल एक ही रक्षा लक्ष्य किया जा सकता।
- (च) आकस्मिक अथवा व्युत्पन्न षेखिम (विदशी मुद्रा में बोली प्रस्तुत करने वाले षेखिम के सिवाय) के लिए विकल्प संविदा का उपयोग नहीं किया जा सकता।

2. उपयोगकर्ता

- (क) आयज विदशी मुद्रा षेखिम वाला ग्राहक समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2003 अधिसूचना सं. फमा.25/2000-आरबी की अनुसूची I और II का अनुसार विकल्प संविदा करने का पात्र हैं।
- (ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, व्यापारिक बहियों और तुलनपत्र की षेखिमों की रक्षा का प्रयोजन से उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं।

3. षेखिम प्रबंध और विनियामक मुद्दा

- (क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विकल्प बही चलाना चाहते हैं और मार्केट मकर का रूप में कार्य करने का इच्छुक हैं वासकम प्राधिकारी (बोर्ड/ षेखिम समिति/ एएलसीओ) का अनुमोदन और इस संबंध में प्रस्तुत विस्तृत ज्ञापन की प्रतिलिपि का साथ मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदशी मुद्रा विभाग, विदशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई 400001 का पास आवदन प्रस्तुत करें। षेखिम प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, इस उत्पाद का बक-टू-बक आधार पर उपयोग करना चाहते हैं वाकत प्रभाग को इस बारे में सूचित करता है।
- (ख) मार्केट मकर को हाज़िर बाज़ार का माध्यम से अपने विकल्प पोर्टफोलियो का 'डकटा' की रक्षा का लिए अनुमति होगी। अन्य "ग्रीक्स" की रक्षा अंतर बैंक बाज़ार में विकल्प लक्ष्य द्वारा की जा सकती है विकल्प संविदा का "डकटा" एक दिवसीय कुल स्थिति का भाग होगा। "एपीएल" का

प्रयोजन के लिए विकल्प संविदा को शामिल करने के संबंध में, प्रत्येक परिष्कृतता के आखिर में "डेल्टा समकक्ष" को हिसाब में लिया जाएगा। प्रत्येक बकाया विकल्प संविदा की परिष्कृतता को विभिन्न परिष्कृतता समूहों में समूह बनाने के लिए ँहले से लिया जा सकता है। (विकल्प संविदाओं से संबंधित विविध "ग्रीक" की परिभाषा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा - रूया विकल्प ँर तकनीकी समिति की रिपोर्ट देखें) ।

- (ग) फिलहाल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों, से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा ँहले से अनुमोदित जोखिम प्रबंध सीमा के भीतर ही विकल्प ँर्टफोलियो को रखें।
- (घ) विकल्प बही चलानेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, को विदेशी मुद्रा रूये विकल्प में बाज़ार में सक्रिय रहने के कारण उत्पन्न जोखिम की रक्षा के लिए साधारण वैनिला क्रास करेंसी विकल्प स्थितियां प्रारंभ करने की अनुमति है।
- (ङ) बैंक दैनिक आधार ँर बहियों में ँर्टफोलियो की प्रविष्टि की सही प्रणाली बनाए जाए। एफडीआईआइ निहित उतार-चढ़ाव अनुमान की मेट्रिक्स प्रकाशित करेगा जिसे बाज़ार के सहभागी अने ँर्टफोलियो के बाज़ार मूल्य को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं।

4. रिपोर्ट करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे संलग्न फार्मेट के अनुसार अने द्वारा किए गए लेनदेनों की साप्ताहिक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

5. लेखाकरण

विकल्प संविदा के लिए लेखाकरण की रूरेखा 29 मई 2003 के एफडीआईआइ ँरिषत्र सं. एसपीएल-24/एफसी-रूया ऑप्शन/2003 के अनुसार होगी।

6. प्रलेखन

बाज़ार के सहभागी केवल आइएसडीए प्रलेखन का अनुसरण करें।

7. ँजी आवश्यकता

ँजी आवश्यकता हमारे बैंकिंग ँरिचालन और विकास विभाग द्वारा समय समय ँर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

8. प्रशिक्षण

विकल्प लेनदेन करने से ँहले बैंक अने स्टाफ को ँर्यास रू से प्रशिक्षित करें और आवश्यक जोखिम प्रबंध प्रणाली बनाएं। वे अने ग्राहकों को उत्ाद से ँरिचित करवाने के लिए कार्रवाई करें।

को समाप्त सप्ताह की भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

I. विकल्प लेनदेन रिपोर्ट

क्रम सं.	व्यापार तारीख	ग्राहक/पार्टी का नाम	आनुमानिक	क्रय/विक्रय विकल्प	स्ट्राइक	रि-क्वता	प्रीमियम	प्रयोग न*

*व्यापार अथवा ग्राहक संबंधी तुलनात्र का उल्लेख करें।

II. विकल्प स्थिति रिपोर्ट

करेंसी युग्म	अनुमानित बकाया		नेट पोर्टफोलियो डेल्टा	नेट पोर्टफोलियो प्रीमा	नेट पोर्टफोलियो वेगा
	क्रय	विक्रय			
अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपया	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर		
यूरो - भारतीय रुपया	यूरो	यूरो	यूरो		
जापानी येन - भारतीय रुपया	जापानी येन	जापानी येन	जापानी येन		

(अन्य करेंसी पेयरो के लिए इसी प्रकार से)

टोटल नेट ओपन ऑप्शन पोजिशन (आईएनआर)

4 अप्रैल 2003 के एपी (डीआईआर) स७2 में निर्धारित मेथोडालॉजी का उपयोग करके उपर्युक्त का माता लपया जा सकता है।

III. पोर्टफोलियो डेल्टा रिपोर्ट में परिवर्तन

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर-वृद्धि) के लिए अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर-वृद्धि) के लिए अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन

इसी प्रकार, यूरो-भारतीय रुपए, जापानी येन-भारतीय रुपए, जैसी अन्य करेंसी पेयरो के लिए भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत परिवर्तन (एफसीवाइ वृद्धि और मूल्य ह्रास अलग) के लिए डेल्टा में परिवर्तन।

IV. स्ट्राइक कवरेज रिपोर्ट

	परिवर्तन समूह					
तय मूल्य	1 सप्ताह	2 सप्ताह	1 माह	2 माह	3 माह	> 3 माह

यह रिपोर्ट चालू हाजिर स्तर के आसपास 150 पैसे के दायरे के लिए तैयार किया जाना चाहिए। सखयी स्थितियादी जाए।

सभी राशियां मिलियन अमरीकी डॉलर में। जब बैंक कोई विकल्प स्वीकार करता है तो राशि धनात्मक दर्शायी जाए। जब बैंक कोई विकल्प का विक्रय करता है तो राशि ऋणात्मक दर्शायी जाए। सभी रिपोर्ट मार्केट मेकरों द्वारा ई-मेल के माध्यम से fedcofmd@rbi.org.in को भेजी जाए। रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार की स्थिति में तैयार की जाए तथा अगले सोमवार तक भेजी जाए।

संलग्नक- VIII

[भाग 5 का पैरा 5 (क) देखें]

समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार- दिनांक -----की रिपोर्ट

राशि (समतुल्य मिलियन अमरीकी डालर* में)

बैंक (स्विफ्ट कूट)	पिछले तिमाही ... के अंत अक्षत स्तर - I पूंजी	1 जुलाई 2009 के " " पश्चिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन " पर मास्टर परिपत्र के भाग -इ, पैरा .5 (क) के अनुसार उधार	रू या स्रोत के पुनः पूर्ति करने के सीमा से अधिक उधार@	बाह्य वाणिज्यिक उधार	औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के निर्यात ऋण 01 01 जुलाई 2003 के मास्टर परिपत्र तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000- आरबी के विनियम 4.2(iv) के अंतर्गत उधार	
					(क) विदेशी मुद्रा में पोतलदान पूर्व ऋण व्यवस्था (पीसीएफसी)	(ख) बैंकर स्वीकृत सुविधा (बीएएफ/ विदेश में निर्यात बिलों के पुनर्भुनाई योजना (ईबीआर) उपलब्ध करने के लिए विदेश से ऋण
A	1	2	3	4a	4b	

स्तर II पूंजी में शामिल करना का लिए विद्वशी मुद्रा गौण ऋण	अन्य कोई संवर्ग (कृपया विशेष रूप से यहां इस सख में उल्लेख करें)	कुल (1+2+3+6)	कुल (1+2+3+4+6)	अ का स्तर-I पूंजी का प्रतिशत का रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+6) का अंतर्गत उधार	अ का स्तर-I पूंजी का प्रतिशत का रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+4+6) का अंतर्गत उधार
5	6	7	8	9	10

नोट :

- * 1. परिवर्तन का लिए रिपोर्ट का तारीख को रिजर्व बैंक संदर्भ दर और न्यूयार्क बंद दरों का उपयोग करें ।
- @ 2. दिनांक 24 मार्च 2004 का ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.81 का पृष्ठा 4 का अनुसार सुविधा फिलहाल निकाल दी गयी है।

संलग्नक-IX

[भाग -अ का पैरा 1(ii) (छ)देखें]

पिछले निष्पादन के आधार पर वायदा संविदाओं की बुकिंग -

दिनांक -----की रिपोर्ट

बैंक का नाम -----

(अमरीकी डॉलर में)

माह के दौरान स्वीकृत कुल सीमाएं	संचयी स्वीकृत सीमाएं	बुक की गई संविदाओं की राशि	उपयोग में लाई गई राशि (प्रलेखों के सुपुर्दगी द्वारा)	रद्द किए गए वायदा संविदाओं की राशि
1	2	3	4	5

टिप्पणियां :

1. समग्र रूप में बैंक की स्थिति दर्शायी जाए।
2. वर्ष के दौरान स्तंभ 2, 3, 4 और 5 में दी गई राशियां संचयी स्थिति में होनी चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशियों को आगे ले जाकर अगले वर्ष की सीमा में शामिल कर दिया जाएगा और इस प्रकार अगले वर्ष के लिए पात्र सीमाओं की गणना करते समय उसे शामिल किया जाएगा [भाग-अ, पैरा 1 (ii)2(क)]।

संलग्नक - X

[भाग अ का पैराग्राफ 4 देखें]

अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाजारों में पण्य मूल्य ँ ँखिम की हेपिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक प्राधिकृत बैंक, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों कँ अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाजारों में किसी पण्य (स्वर्ण, प्लैटिनम और चांदी कँ छँकर) में मूल्य ँ ँखिम की हेपिंग की अनुमति दे सकती है। नीचे दिए गए न्यूनतम मानदंडों कँ पूरा करनेवाले और अपने ग्राहकों कँ यह सुविधा देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी वाणिज्यिक बैंक , अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र , मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा प्रभाग बाजार, अमर भवन, 5वीं मंणिल, मुंबई 400001 कँ भेपें ।

निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडां कँ प्राधिकृत व्यापारी द्वारा पूरा किया ँ ँना ँ रूरी है :

- i) कम से कम तीन वर्ष लगातार लाभप्रदता
- ii) 9% न्यूनतम सीआरएआर
- iii) उचित स्तर पर निवल अनर्णक परिसंपत्तियां किन्तु निवल अग्रिमों के 4% से अधिक नहीं
- iv) 300 करँ रुपए की न्यूनतम निवल मालियत

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कंपनियों कँ अनुमति प्रदान करें। रिज़र्व बैंक कँ आवश्यक समझे ँ ँने पर, बैंकों कँ दी गई अनुमति कँ वापस लेने का अधिकार है।

2. कंपनियों कँ लेनदेनों की हेपिंग करने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उनसे बाँ का संकल्प प्रस्तुत करने कँ कहे ँ ँसमें दर्शाया गया हँ (i) कि इस लेनदेनों में शामिल ँ ँखिमों कँ बाँ समझता है (ii) हेपिंग लेनदेनों का स्वरूप , ँ ँ कंपनी आनेवाले वर्ष में करेगी तथा (iii) कंपनी सिर्फ वहां हेपिंग लेनदेन करेगी ँ ँ हां यह मूल्य ँ ँखिम से संबंधित हँ लेनदेन की सत्यता पर संदेश हँ अथवा कंपनी के मूल्य ँ ँखिम से संबंधित न हँने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक किसी हेपिंग लेनदेन से मना कर सकता है। वे शर्तें, ँ ँनके अधीन प्राधिकृत व्यापारी हेपिंग की अनुमति देंगे और लेनदेन पर निगरानी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। यह स्पष्ट किया ँ ँता है कि अंतरराष्ट्रीय मंडियों/ बाजारों में देशी बिक्री/ खरीद लेनदेनों पर हेपिंग की अनुमति नहीं है बावँद इसके कि देशी मूल्य पण्य के अंतरराष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध है। ग्राहक द्वारा हेपिंग कार्यकलाप शुरू करने से पहले उन्हें आवश्यक परामर्श दिया ँ ँए।

3. पण्य हेजिंग के अनुमोदन की अनुमति पा चुके बैंक एक महीने के अंदर उन कंपनियों के नाम जिन्हें पण्य हेजिंग की अनुमति दी गई है और उन पण्यों के नाम जिनकी हेजिंग की गई है देते हुए मार्च 31 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, अमर भवन, 5वीं मंजिल, मुंबई 400001 को भेजें।
4. हेजिंग लेनदेन करने के लिए ऐसे ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों को, जो प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I अनुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजना जारी रखें।

अंतर्राष्ट्रीय मंडियों/ बाजारों में हेजिंग लेनदेन करने की लिए शर्तें/ दिशा-निर्देश

1. हेजिंग लेनदेन का केन्द्र जोखिम नियंत्रण पर होगा। केवल प्रति संतुलन हेजिंग की अनुमति है।
2. सभी मानक विदेशी मुद्रा व्यापारिक भावी सौदे और ऑप्शन्स (केवल खरीद) की अनुमति है। यदि जोखिम प्रोफाइल अधिकार देता है तो कंपनी/ फर्म ओटीसी संविदा का भी उपयोग कर सकता है। कंपनी/ फर्म, जब तक प्रीमियम का सीधे अथवा निहित निवल आवक न हो, तब तक विकल्प की खरीद और बिक्री दोनों को साथ-साथ शामिल कर विकल्प कार्यनीति का मिश्रित उपयोग कर सकता है। कंपनी/ फर्म का किसी विकल्प स्थिति का उसी ब्राकर के प्रतिकूल लेनदेन से रद्द करने की अनुमति दे सकता है।
3. कंपनी/ फर्म, प्राधिकृत व्यापारी I के पास एक विशेष खाता खोले। हेजिंग के प्रासंगिक सभी भुगतान/ प्राप्तियों का रिज़र्व बैंक का भेजे बग़ैर इस खाते के माध्यम से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I द्वारा अंजाम दिया जाए।
4. कंपनी के वित्तीय नियंत्रक द्वारा विधिवत पुष्टिकृत/प्रतिहस्ताक्षरित ब्राकर की माह के अंत के रिपोर्ट (रिपोर्टों) की एक प्रति बैंक द्वारा सत्यापित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ऑफ-शोर स्थितियां फिज़िकल एक्सपोजरों द्वारा समर्थित हैं/ थीं।
5. ब्राकर द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरण, विशेषकर बुक किए गए लेनदेन और क्लोज़ आउट संविदाएं और अंतिम निपटान में प्राप्य/ देय राशि के ब्यारे प्रस्तुत करनेवाले विवरणों की कंपनी/ फर्म जांच करें। ब्राकरों से असमायोजित मदों का तीन महीने के अंदर समायोजित करने का कहा जाए।
6. कंपनी/ फर्म अंतरपणन/ सट्टा लेनदेन न करें। इस संबंध में लेनदेनों की निगरानी की जिम्मेदारी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I की होगी।

7. कं॒पनी/ फ॒र्म सां॒विधि॒क ले॒खाका॒र से प्रा॒प्त ए॒क वा॒र्षि॒क प्र॒माण॒पत्र प्रा॒धि॒कृत॒ व्या॒पारी श्रेणी-॒I बै॒ंक को प्र॒स्तुत॒ करें। प्र॒माण॒पत्र यह पु॒ष्टि करें कि निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है और कि कं॒पनी/ फ॒र्म का आं॒तरि॒क नियंत्रण संतोषजनक है। ये प्रमाणपत्र आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण के लिए रिकार्ड में रखे जाएं।

संलग्नक- XI

[भाग अ , खंड-1 का पैराग्राफ.5 अ(3) देखें]

घरेलू लेनदेनों के लिए पण्य हेजिंग - चुनिन्दा धातु

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, जिन्हें इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से प्राधिकृत किया है, घरेलू उत्पादकों/ उपयुक्तकर्ताओं को उनके निहित आर्थिक जखिमों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में एलुमिनियम, तांबा, शीशा, निकल और जस्ता पर उनकी मूल्यों की हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं। उपर्युक्त पण्यों के पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अप्रैल-मार्च) के वास्तविक खरीद/ बिक्री अथवा पिछले वर्ष के वास्तविक खरीद/ बिक्री पण्यवर्त, जो भी अधिक हो के औसत तक हेजिंग अनुमति दी जाए। इसके अलावा, केवल मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद) की अनुमति दी जाए।

घरेलू खरीद के लिए पण्य हेजिंग - विमानन एंबाइन ईंधन (एपीएफ)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, जिन्हें इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से प्राधिकृत किया है, विमानन एंबाइन ईंधन के वास्तविक उपयुक्तकर्ताओं को उनके घरेलू खरीद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में उनके आर्थिक जखिमों की हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं। यदि जखिम प्रफाइल औचित्यपूर्ण हो तो विमानन एंबाइन ईंधन के वास्तविक उपयुक्तकर्ता ओपीसी संविदाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सुनिश्चित करें कि विमानन एंबाइन ईंधन की हेजिंग के लिए अनुमति फर्म के आदेशों पर ही दी जाती है और आवश्यक दस्तावेजी सबूत उनके द्वारा रखे जाते हैं।

टिप्पणी : (i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त पैरा 1 और 2 के तहत हेजिंग कार्यकलाप करनेवाली कंपनियों के पास बार्ड द्वारा अनुमोदित नीति हामी चाहिये जो उस संपूर्ण ढाँचे को परिभाषित करे जिसमें डेरिवेटिव्स कार्यकलापों की हेजिंग की जाए और जखिम नियंत्रित किए हों।

प्रत्यायुजित प्राधिकार के तहत शामिल न किए गए हेजिंग लेनदेनों को करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों को पहले की तरह अनुमोदन के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक रिज़र्व बैंक को भेजना जारी रखें।

संलग्नक- XII

[भाग अ का पैरा 5 देखें]

घेरलू क्रुड ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की जखिम से हेजिंग

1. हेजिंग केवल उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा ही की जानी चाहिए जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जुलाई 2005 के एपी(डी) ई रसिरीज) परिपत्र सं. 03 के संलग्नक में और नीचे संलग्नक X में भी दी गई हैं , शर्तों व दिशा-निर्देशों के अधीन विशेष रूप से प्राधिकृत किया है ।
2. उपर्युक्त हेजिंग करने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अपने जखिमों की हेजिंग करने में घेरलू क्रुड ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियां निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन करें :
 - (i) उनके पास बाई से अनुमोदित नीति हामी चाहिये जो उस नीति के समग्र ढाँचे को परिभाषित करती है ,जिसमें डेरिवेटिव कार्य किये जाएं और जखिम जखिम नियंत्रित है।
 - (ii) किसी विशिष्ट कार्यकलाप के लिए और ओटीसी मार्केट्स में भी काराखार करने के लिए कंपनी के बाई की मंजूरी प्राप्त की गयी है।
 - (iii) बाई के अनुमोदन में यह स्पष्ट उल्लेख हामी चाहिये कि दैनिक बाजार मूल्य को बहियों में अंकित करने की नीति, ओटीसी डेरिवेटिव के लिए अनुमत काउंटर पार्टियां को दि अनिवार्यतया सम्मिलित की गयी हैं।
 - (iv) इस याजना के तहत हेजिंग सुविधा जारी रहने की अनुमति देने से पहले ,घेरलू क्रुड ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनियां , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा प्रमाणित ओटीसी लेनदेनों की सूची छमाही को धार पर बाई को प्रस्तुत की है।
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र सं. बीपी.बीसी.86/21.04.157/ 2006-07 के पैरा 8.3 में निहित "व्युत्पन्नों पर व्यापक दिशा-निर्देशों के अनुसार " ग्राहक द्वारा प्रयुक्त हेजिंग उत्पादों की " प्रयोजिता उपयुक्तता " और " औचित्य " भी सुनिश्चित करना चाहिये ।

संलग्नक- XIII

[भाग अ X का पैरा 7(ii) देखें]

विवरण - विदेशी संस्थागत निवेशक ग्राहकों द्वारा किए गए वायदा कवर के ब्याप्रे माह -

भाग अ - बकाया वायदा कवर (पुनःबुकिंग के बगैर) के ब्याप्रे

विदेशी संस्थागत निवेशक का नाम:

वर्तमान बाज़ार मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	

भाग आ - रद्द करने तथा पुनः बुक करने के लिए अनुमत लेनदेनों के ब्याप्रे

विदेशी संस्थागत निवेशक का नाम:

वर्ष की शुरुआत में तय किए गए बाज़ार मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर:

दिनांक :

मुहर :

संलग्नक- XIV

[भाग ई का पैरा 7(X)देखें]

**बुक की गई और निरस्त की गई संविदाओं के ब्योरे
दिनांक -----को समाप्त तिमाही का विवरण**

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

श्रेणी	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं	
	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह
लघु और मझोले उद्यम				
व्यक्तिगत				

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर:

दिनांक :

मुहर :

संलग्नक- XV

[29 अक्टूबर 2007 का एपी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.15]

[भाग अ , खंड-1, का पैरा 1(iv) (घ) देखें]

निवासी व्यक्तियों द्वारा 100,000 अमरीकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं बुक करने के लिए आवेदनपत्र एवं घाषणा

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक के ब्यारे

- (क) नाम-----
(ख) पता-----
(ग) खाता संख्या-----
(घ) स्थायी खाता संख्या (पैन)-----

II. ओक्षित विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के ब्यारे

1. राशि (करेंसी-युग्म स्पष्ट करें)-----
2. अवधि-----

III. दिनांक -----काबकाया वायदा संविदाओं की राष्ट्रीय कीमत

1. राशि (करेंसी-युग्म स्पष्ट करें)
2. विप्रेषण समय-सारिणी
3. प्रयाजन

घाषणा

मैं ----- (आवेदक का नाम) एतद्वारा घाषणा करता हूँ कि भारत में --
----- बैंक ----- (नामित शाखा) में बुक की गई विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की कुल राशि 100,000 अमरीकी डॉलर (केवल एक लाख यू.एस.डॉलर) की नियत सीमा के भीतर है और प्रमाणित करता हूँ कि वायदा संविदाएं अनुमत चालू खाता और / अथवा पूँजी खाता लेनदेन काराखार के लिए हैं । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अन्य किसी बैंक / शाखा में कोई विदेशी मुद्रा वायदा संविदा बुक नहीं की है । मैं विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की बुकिंग की अंतर्निहित जाखिमों से अवगत हूँ ।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम :

स्थान

दिनांक

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक श्री ----- (आवेदक का नाम) जिनका स्थायी खाता संख्या (पैन) ----- है , दिनांक ----- से हमारे पास खाता सं.----- (खाता संख्या) है ।

* हम प्रमाणित करते हैं कि ग्राहक 'धन शोधन निवारक / अपने ग्राहक का जानिए ' से संबंधित

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करता हूँ और अपेक्षित " प्रयत्ना
उपयुक्तता " और " औचित्य " को ध्यान रखने के बाद पुष्टि करते हूँ ।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम :

दिनांक व मुहर

* महीना/वर्ष

संलग्नक- XVI

[10 नवंबर ,2008 का एपी (डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.35]

[भाग अ , खंड 1 का पैरा 5 देखें]

समर्थनकारी पत्र / बैंक गारंटी पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश/ शर्तें - पण्य हेजिंग लेनदेन

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी केवल उन्ही मामलों में जारी कर सकते हैं, जिनमें धनप्रेषण रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार अथवा समुद्रपारीय पण्य बचाव के लिए स्वीकृत विशिष्ट अनुमोदन के दायरे में आते हों ।
2. जारीकर्ता बैंक का जखिम के स्वरूप और उसकी सीमा के लिए अपने बॉर्डर द्वारा अनुमोदित नीति रखनी हणी जिसे बैंक ऐसे लेनदेनों के लिए वहन कर सकें और वह ग्राहक के ऋण जखिमों का एक हिस्सा ह। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए ऐसे ऋण जखिम भारत हामे चाहिए ।
3. कंपनी के अनुमोदित पण्य हेजिंग काराधार के संबंध में मार्जिन राशि के भुगतान के विशिष्ट भुगतान दायित्वों का भरने के लिए समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं ।
4. विशिष्ट काउंटरपार्टियों का पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई अधिकतम मार्जिन राशि के बराबर के लिए समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं ।
5. ग्राहक का उपलब्ध गैर-निधि आधारित सुविधा (समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी) पर पुनग्रहणाधिकार बनाने के बाद अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं ।
6. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्रपारीय पण्य जखिम बचाव के लिए दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन किया गया है।
7. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रॉकर की माह के अंत में कंपनी के नियंत्रक द्वारा भली भाँति पुष्टि की गई / प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
8. सभी अपतटीय जखिम प्रत्यक्ष निवेश द्वारा समर्थित हैं/ थे , यह सुनिश्चित करने के लिए ब्रॉकर की माह के अंत में कंपनी के नियंत्रक द्वारा भली भाँति पुष्टि की गई / प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापित की जाती है ।

जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची

क्रम सं	अधिसूचना / परिपत्र	दिनांक
1.	अधिसूचना सं. फेमा.25/2000-आरबी	3 मई 2000
2.	अधिसूचना सं. फेमा 101/2003-आरबी	3 अक्टूबर 2003
3.	अधिसूचना सं. फेमा.104/2003-आरबी	21 अक्टूबर 2003
4.	अधिसूचना सं. फेमा.105/2003-आरबी	21 अक्टूबर 2003
5.	अधिसूचना सं. फेमा.127/2005-आरबी	5 जनवरी 2005
6.	अधिसूचना सं. फेमा.143/2005-आरबी	19 दिसंबर 2005
7.	अधिसूचना सं. फेमा.147/2006-आरबी	16 मार्च 2006
8.	अधिसूचना सं. फेमा.148/2006-आरबी	16 मार्च 2006
1.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.92	4 अप्रैल 2003
2.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.93	5 अप्रैल 2003
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.98	29 अप्रैल 2003
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.108	21 जून 2003
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	17 अक्टूबर 2003
6.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 46	9 दिसंबर 2003
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 47	12 दिसंबर 2003
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 81	24 मार्च 2004
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 26	01 नवंबर 2004
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 47	23 जून 2005
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 03	23 जुलाई 2005
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 25	6 मार्च 2006

13.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.8/02.03.75/2002-03	4 फरवरी 2003
14.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.14/02.03.75/2002-03	9 मई 2003
15.	ईसी.सीओ.एफएमडी.सं.345/02.03.129(पॉलिसी) / 2003-04	5 नवंबर 2003
16.	एफई.सीओ.एफएमडी.सं.1072/02.03.89/2004-05	8 फरवरी 2005
17.	एफई.सीओ.एफएमडी.सं.2/02.03.129(पॉलिसी) / 2005-06	7 नवंबर 2005
18.	एफई.सीओ.एफएमडी.सं.21921/02.03.75/2005-06	17 अप्रैल 2006
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.21	13 दिसंबर 2006
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 22	13 दिसंबर 2006
21.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 32	8 फरवरी 2007
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 52	08 मई 2007
23.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 66	31 मई 2007
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 76	19 जून 2007
25.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 15	29 अक्टूबर 2007
26.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 17	06 नवंबर 2007
27.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 47	03 जून 2008
28.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 05	6 अगस्त 2008
29.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 23	15 अक्टूबर 2008
30.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 35	10 नवंबर 2008
31.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 50	4 फरवरी 2009
32.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 27	19 जनवरी 2010

इस परिपत्र को फेमए 1999 और इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों/ विनियमों/ निर्देशों/ आदेशों/ अधिसूचनाओं के साथ पढ़ा जाए।